क.

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

भारत और ओआरएस का संघ। 2020 का नागरिक आवेदन NO.3626 1 फरवरी, 2023

[के**.** एम**.** जोसेफ**,** बी**.** वी**.** नागरत्ना और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986-2011 के तहत जारी अधिसूचना-प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलार्थी को चेन्नई बंदरगाह से भंडारण टर्मिनल टैंक में खाद्य तेल के हस्तांतरण के लिए पाइपलाइन बिछाने और भंडारण पारगमन टर्मिनल की स्थापना के लिए उपरोक्त अधिसूचना के अनुच्छेद-4.3 का कथित रूप से आह्वान करते हुए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की-एनजीटी ने कहा कि 2011 की अधिसूचना के विपरीत भंडारण टैंक पारगमन टर्मिनल लगाने की गतिविधि अवैध थी क्योंकि भंडारण टर्मिनल चेन्नई बंदरगाह में स्थित नहीं था, इस मामले में अकेले, यह तटीय विनियमन क्षेत्र II की अनुमत गतिविधियों के तहत अनुमत होता-भंडारण सुविधा का निर्माण और पाइपलाइन को हटाने का निर्देश दिया गया था, पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया-अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि सी. आर.अधिसूचना के उद्देश्यों में तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों के खतरों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि के खिलाफ सुरक्षा शामिल है-तटीय विनियमन उन विचारों पर आधारित प्रतीत होता है जो परस्पर विरोधी हितों को समायोजित करते हैं जो अनिवार्य रूप से आवश्यक महसूस किए जाते हैं और विचाराधीन क्षेत्र की प्रकृति-'अंदर' और 'अंदर' शब्दों में बंदरगाह के बाहर क्या है, यह शामिल नहीं हो सकता है-अधिसूचना के निर्माता ने 'बंदरगाह क्षेत्र' में विचाराधीन गतिविधियों पर भी विचार नहीं किया है-एक भंडारण टैंक को बंदरगाह सीमा के बाहर अनुमति नहीं दी जा सकती है-यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो यह अराजकता की शुरुआत करेगा-सवाल उठेगा कि बंदरगाह क्षेत्र से कितनी दूरी तक यह होगा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

246

247

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत का संघ।

'बंदरगाह क्षेत्र में' के रूप में माना जाता है-2011 की अधिसूचना को ऐसी व्याख्या प्राप्त नहीं हो सकती है जो क्षण के मामलों को अनिश्चितता के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने के लिए छोड़ दे-जहां तक पाइपलाइन का संबंध है, यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां इसकी गतिविधि की अनुमति है-यदि भंडारण टैंकों को ध्वस्त कर दिया जाता है तो क्या पाइपलाइन का उपयोग जारी रखा जा सकता है, इस बारे में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है-अपीलकर्ता संबंधित जिला तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं-अपीलकर्ताओं को भंडारण टैंकों को ध्वस्त करने के लिए छह महीने की अवधि दी गई है ताकि एनजीटी के विवादित आदेश का पालन किया जा सके-एक महीने के भीतर आदेशित मुआवजे का भुगतान करने के लिए पहली अपील में अपीलकर्ता-मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, 1964 -धारा 35-सीमा शुल्क अधिनियम।2(11), (12), (13), 7(क), 57-भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010।

ग

सीमा शुल्क अधिनियम-एसएस।7(क) 57-भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908-प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1964 -धारा 35-आयोजितःभारतीय बंदरगाह अधिनियम और प्रमुख बंदरगाह अधिनियम के तहत आने वाला प्रत्येक बंदरगाह अपने आप में एक सीमा शुल्क बंदरगाह नहीं बन सकता है-एक सीमा शुल्क बंदरगाह यू/एस।2(12) इस तरह के यू/एस के रूप में नियुक्त किए जा रहे बंदरगाह पर अस्तित्व में आता है।7(क)-अनुज्ञप्ति यू/एस के आधार पर अपीलार्थी का मामला।57 सीमा शुल्क अधिनियम इसे एक सीमा शुल्क क्षेत्र बना सकता है क्योंकि इसमें एक गोदाम शामिल है, लेकिन यह अकल्पनीय है कि यह इसे 'अधिसूचित बंदरगाह में' कैसे बदल देगा-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986।

डी.

ई.

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र **('**सीआरजेड'**)** घोषित किया है।प्रथम खंड में सी**.** आर**.** जेड**.** में समुद्र के सामने की भूमि पर उच्च ज्वार रेखा से लेकर **500** मीटर तक का भूमि क्षेत्र शामिल है।हाई टाइड लाइन वसंत ज्वार के दौरान उच्चतम जल चिह्न पर आधारित रेखा है।हम केवल यह देख सकते हैं कि सी**.** आर**.** जेड**.** की अन्य **4** श्रेणियों में**,** सी**.** आर**.** जेड**.** में एल**.** टी**.** एल**. (**लोव टाइड लाइन**) (**जो रेखा वसंत ज्वार के दौरान जल निकाय की सबसे कम ऊंचाई पर आधारित है**)** से लेकर समुद्र के मामले में क्षेत्रीय जल सीमा **(12** समुद्री मील**)** और तट पर एल**.** टी**.** एल**.** से ज्वारीय प्रभावित जल निकायों के तट के विपरीत एल**.** टी**.** एल**.** के बीच का क्षेत्र शामिल है।सी**.** आर**.** जेड**.** को पैरा **7** के तहत सी**.** आर**.** जेड**. I,** सी**.** आर**.** जेड**. II,** सी**.** आर**.** जेड**. III,** सी**.** आर**.** जेड**. IV** और सी**.** आर**.** जेड**. V** में वर्गीकृत किया गया है। यह न्यायालय सी**.** आर**.** जेड**. II** से संबंधित है। पैराग्राफ**-3** में सी**.** आर**.** जेड**.** के भीतर निषिद्ध गतिविधियों का प्रावधान है। यह न्यायालय नोटिस कर सकता है कि यह विभाजित है

च

जी.

एच.

248 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

क.

14 श्रेणियों में और ध्यान देने योग्य विशेषता यह है कि प्रतिबंधों के कुछ अपवाद भी घोषित किए गए हैं।पैराग्राफ**-3** में कुछ खंड हैं जो हमारे सामने आने वाले मामलों के लिए प्रासंगिक हैं।**[**पैरा **21** और **22] [262-**एफ**-**एच**; 263-**ए**-**बी**,** ई**]**

1.2 पैराग्राफ**-3 (xi)** में अधिसूचना के पैरा **8** में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर सीआरजेड **1** में निर्माण गतिविधियों के निषेध का प्रावधान है।इस न्यायालय को विभिन्न अन्य खंडों के साथ हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।विनियम **4** सी**.** आर**.** जेड**.** क्षेत्र में अनुमेय गतिविधियों से संबंधित है।यह घोषित किया जाता है कि पैराग्राफ**-4** के तहत गणना की गई गतिविधियों को पैराग्राफ**-3** में निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर विनियमित किया जाएगा।इसका मतलब है कि पैराग्राफ**-3** में जो वर्जित है**,** उसे पैराग्राफ**-3** के अर्थ के भीतर अनुमति या विनियमित नहीं किया जा सकता है।**4.** चूंकि पैराग्राफ**-4** के खंड **2** में प्रावधान है कि इसके तहत वर्णित गतिविधियों के लिए एमओईएफ से मंजूरी की आवश्यकता होगी**,** इसलिए सवाल उठेगा कि क्या अन्य गतिविधियों के लिए**,** जो अनुमत हैं**,** क्या इसे मंजूरी की आवश्यकता है**?**पैराग्राफ**-4.2** इसका जवाब देता है। यह अनुमेय गतिविधियों को मंजूरी देने की प्रक्रिया प्रदान करता है।विभिन्न औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है।मूल रूप से**, 2011** की अधिसूचना में किसी भी पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन का प्रावधान नहीं था।यह वर्ष **2018** में है**,** यानी **09.03.2018** पर **2011** की अधिसूचना में अनुच्छेद**-4.3** जोड़ा गया था।यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि इसके तहत 'मानदंडों' का उल्लंघन किसी व्यक्ति को पोस्ट फैक्टो क्लीयरेंस के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।मानदंड पैराग्राफ**-8** में निर्धारित किए गए हैं।**2011** की अधिसूचना के तहत अनुमत गतिविधियों के विनियमन के लिए अनुच्छेद**-8** का प्रावधान किया गया है। यह घोषणा करता है कि सीआरजेड की विभिन्न श्रेणियों में विकास या निर्माण गतिविधियों को मानदंडों के अनुसार संबंधित सीजेडएमए द्वारा विनियमित किया जाएगा।**[**पारस **27-29] [264-G-H; 266-F-G; 267-D-E] 1.3 CRZ-III,**

जिसमें समुद्र के मोर्चे के मामले में भूमि की ओर **HTL** से **200** मीटर तक का क्षेत्र शामिल है।इसे एन**.** डी**.** जेड**. [**या कोई विकास क्षेत्र नहीं**]** के रूप में चिह्नित किया गया है।अन्य बातों के साथ**-**साथ यह प्रावधान किया गया था कि एन**.** डी**.** जेड**.** किसी भी अधिसूचित बंदरगाह के भीतर आने वाले ऐसे क्षेत्र में लागू नहीं होगा।इसमें कई तरह की पाबंदियां हैं।एनडीजेड में कुछ गतिविधियों को अनुमत गतिविधियों के रूप में दिखाया गया था। इनमें अनुलग्नक**-II** में निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और द्रवीकृत गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए खंड **(**ई**)** सुविधाएं शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि सीआरजेड**-III** में पड़ने वाले **200** मीटर से **500** मीटर के बीच के क्षेत्र के संबंध में**,** पैराग्राफ**-8** ने गैर**-**खतरनाक कार्गो ए के भंडारण की अनुमति दी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

249

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत का संघ।

जैसे खाद्य तेल**,** उर्वरक**,** अधिसूचित बंदरगाहों में खाद्यान्न।**[**पैरा **31] [269-**डी**-**ई**]**

1.4 यह देखा जाएगा कि प्रमाणपत्र भंडारण सुविधा और बंदरगाह में होने के संबंध में मौन है।प्रमाणपत्र वास्तव में यह घोषणा नहीं करता है कि चेन्नई बंदरगाह पर कोई जगह नहीं है।अपीलकर्ताओं का यह तर्क सही हो सकता है कि खाद्य तेल खतरनाक नहीं है और बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य तेल का आयात आवश्यक हो सकता है।यह सच हो सकता है कि कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है जो भंडारण सुविधा के निर्माण या रखरखाव में शामिल हो।**[**पैरा **35] [270-**जी**-**एच**; 271-**ए**]**

ग

1.5 2011 की अधिसूचना के अवलोकन से निम्नलिखित को घोषित वस्तुओं के रूप में पता चलता है:**(i)** तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदायों और अन्य समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना**, (ii)** तटीय क्षेत्रों का संरक्षण और सुरक्षा**; (iii)** तटीय क्षेत्रों और उनके समुद्री क्षेत्र के अनूठे पर्यावरण की सुरक्षा**; (iv)** तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों के खतरों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देना या विकास करना**; (v)** ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि का पहलू।इसलिए**,** यह न्यायालय अपीलार्थियों से सहमत होने में असमर्थ है कि पाइपलाइन बिछाने से बंदरगाह के कामकाज में या उस मामले के लिए अधिक दक्षता होगी**,** इससे यातायात की भीड़ कम होगी**,** और इससे प्रदूषण में कमी होगी जो अपने आप में प्रासंगिक नहीं हो सकती है या मुद्दे को समाप्त करने के लिए नहीं हो सकती है।यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह किसी कानून के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करे और उसे प्रभावी बनाए।समान रूप से यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपने उन मामलों पर विचार करने से बचे जो उद्देश्य के लिए सख्ती से उपयुक्त नहीं हो सकते हैं।**[**पैरा **36] [271-**सी**-**एफ**]**

डी.

ई.

च

1.6 पैराग्राफ**-8 (I) (i) (b)** में अन्य बातों के साथ-साथ पाइपलाइनों के निर्माण की अनुमति दी गई थी।इसके बाद अनुच्छेद**-8 (II)** में**,** सीआरजेड**-II** के तहत**,** खंड **VI** ने खाद्य तेल**,** उर्वरक और खाद्यान्न जैसे गैर**-**खतरनाक माल के भंडारण की अनुमति देने पर विचार किया।हम सीआरजेड **III** की प्रासंगिक सामग्री में अपनी जांच को व्यापक बना सकते हैं। **2011** की अधिसूचना के सी**.** आर**.** जेड**.-III** को क्षेत्र 'ए' में विभाजित किया गया था**,** जो अन्य बातों के साथ-साथ समुद्र के मोर्चे के मामले में एच**.** टी**.** एल**.** से **200** मीटर तक के क्षेत्रों से संबंधित था।उक्त खंड ने आगे घोषणा की कि उक्त क्षेत्र एक नहीं होगा

जी.

एच.

250 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 9 एस. सी. आर.

क.

विकास क्षेत्र **(**एनडीजेड**)**।यह न्यायालय नोटिस करता है कि सी**.** आर**.** जेड**.-III** में एन**.** डी**.** जेड**.** किसी भी बंदरगाह सीमा के भीतर 'ऐसे क्षेत्रों' में लागू नहीं होना था।इस प्रकार**,** 'भीतर' अभिव्यक्ति ने फिर से अधिसूचित बंदरगाह सीमाओं के संबंध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।क्षेत्र 'ए' के तहत एन**.** डी**.** जेड**.** में अनुमत गतिविधियों में**,** अर्थात।**,** उपरोक्त **200** मीटर तक**,** यह न्यायालय खंड **(**ई**)** पाता है**,** जो अनुलग्नक**-II** में निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और तरल पेट्रोलियम गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए सुविधाओं की अनुमति देता है। सी**.** आर**.** जेड**.-III** के क्षेत्र बी को **200** मीटर से **500** मीटर तक के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है।चूँकि सी**.** आर**.** जेड**.** स्वयं **500** मीटर की दूरी प्राप्त करने पर समाप्त हो जाएगा**,** दूसरे शब्दों में**,** यह सी**.** आर**.** जेड**.-III** का अवशिष्ट क्षेत्र है। उसी के तहत हम देखते हैं कि फिर से पेट्रोलियम उत्पादों और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण की सुविधाओं की अनुमति दी गई थी जैसा कि अनुलग्नक**-II** में निर्दिष्ट किया गया था।यह न्यायालय इस बात को ध्यान में रख सकता है कि इसी गतिविधि पर सीआरजेड**-III** के क्षेत्र ए में भी विचार किया गया था।**,** समुद्र तट के मामले में भूमि क्षेत्र की उच्च ज्वार रेखा के **200** मीटर तक का क्षेत्र**,** अन्य बातों के साथ।दिलचस्प बात यह है कि जब अधिसूचित बंदरगाहों में खाद्य तेल उर्वरकों और खाद्यान्न जैसे गैर**-**खतरनाक माल के भंडारण की बात आती है**,** तो इसके खंड **4** के तहत सीआरजेड**-III** के क्षेत्र 'बी' में गतिविधि की अनुमति दी गई थी**,** जो कि **200** मीटर से **500** मीटर के बीच स्थित क्षेत्र है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सी**.** आर**.** जेड**.-III** को पैराग्राफ**-7** में अनिवार्य रूप से अपेक्षाकृत अबाधित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था**,** जो सी**.** आर**.** जेड**.-I** या **II** से संबंधित नहीं था**,** जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र**,** विकसित और अविकसित दोनों शामिल थे और नगरपालिका सीमाओं के भीतर या अन्य कानूनी रूप से नामित शहरी क्षेत्रों में भी**,** जो पर्याप्त रूप से निर्मित नहीं थे।यह न्यायालय पहले ही सीआरजेड**-II** के वर्गीकरण को उन क्षेत्रों के रूप में देख चुका है जिन्हें तट रेखा तक या उसके करीब विकसित किया गया था।क्या यह कहा जा सकता है कि गैर**-**खतरनाक माल जैसे खाद्य तेल**,** उर्वरक**,** खाद्य अनाज के भंडारण की अनुमति सी**.** आर**.** जेड**.-III,** क्षेत्र 'बी' में अधिसूचित बंदरगाहों में सी**.** आर**.** जेड**.-III** क्षेत्र 'ए' में भी दी जाए**?**एन**.** डी**.** जेड**.** में अनुमत गतिविधियों के तहत सी**.** आर**.** जेड**.-III** की सामग्री को देखते हुए**,** हम ऐसा कोई खंड नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो खाद्य तेल सहित गैर**-**खतरनाक माल के इस तरह के भंडारण की अनुमति देता हो।इसलिए**,** सी**.** आर**.** जेड**.-III** के क्षेत्र 'ए' के अंतर्गत आने वाले एन**.** डी**.** जेड**.** क्षेत्र में**,** यह अस्वीकार्य हो सकता है। **[**पैरा **42] [274-**ई**-**एच**; 275-**ए**-**ई**] 1.7** 'इन' शब्द की परिभाषा के अनुसार**,** इसमें 'ताकि घेर लिया जाए**,** घेर लिया जाए या अंदर किया जाए' शामिल है।ए को देखने का एक तरीका

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

पैरा **8 (II) (vi)** में अधिसूचित बंदरगाह में **'इन'** शब्द यह होगा कि अधिसूचित बंदरगाह के अंदर गैर**-**खतरनाक सामग्री के भंडारण की अनुमति है।यह न्यायालय नोटिस करता है कि 'भीतर' शब्द की परिभाषा में अंदर का अर्थ भी शामिल है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स ने घोषणा की:**"**एक शब्द एक स्फटिक**,** पारदर्शी और अपरिवर्तित नहीं है**;** यह एक जीवित विचार की त्वचा है और जिस परिस्थिति और समय में इसका उपयोग किया जाता है**,** उसके अनुसार रंग और सामग्री में बहुत भिन्नता हो सकती है।**" [**पैरा **45] [276-**जी**-**एच**; 277-**ए**]**

1.8 चेन्नई बंदरगाह एक बंदरगाह है**,** जो निश्चित रूप से प्रमुख बंदरगाह अधिनियम**, 1964** के अर्थ के भीतर एक प्रमुख बंदरगाह है।एक अन्य अधिनियम**,** जो बंदरगाहों से संबंधित है**,** भारतीय बंदरगाह अधिनियम**, 1908** है।अपीलकर्ताओं का तर्क होगा कि भंडारण सुविधा चेन्नई बंदरगाह के भीतर स्थित नहीं हो सकती है**,** लेकिन यह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा **57** के तहत सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में लाइसेंस प्राप्त है।प्रमुख बंदरगाह अधिनियम में**,** 'बंदरगाह' शब्द को धारा **2 (**क्यू**)** में परिभाषित किया गया है।**[**पैरा **47] [277-**डी**-**ई**]**

ग

डी.

1.9 यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि भंडारण चेन्नई बंदरगाह की सीमा के भीतर स्थित है जैसा कि धारा **2 (**क्यू**)** में विचार किया गया है।इसलिए यह उक्त बंदरगाह के अंदर नहीं है।हालांकि**,** यह अपीलार्थी का मामला है कि भंडारण सुविधा सीमा शुल्क अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है।यह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा **57** के तहत जारी लाइसेंस पर आधारित है। इस प्रकार**,** भारतीय बंदरगाह अधिनियम और प्रमुख बंदरगाह अधिनियम के तहत आने वाला प्रत्येक बंदरगाह अपने आप सीमा शुल्क बंदरगाह नहीं बन सकता है।धारा **2 (12)** के तहत एक सीमा शुल्क बंदरगाह उस बंदरगाह पर अस्तित्व में आता है जिसे धारा **7 (**ए**)** के तहत नियुक्त किया जा रहा है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सीमा शुल्क स्टेशन में कोई भी सीमा शुल्क बंदरगाह और एक भूमि सीमा शुल्क स्टेशन शामिल है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा **57** के तहत लाइसेंस के आधार पर अपीलकर्ता का मामला इसे एक सीमा शुल्क क्षेत्र बना सकता है क्योंकि इसमें एक गोदाम शामिल है लेकिन यह अकल्पनीय है कि यह इसे 'अधिसूचित बंदरगाह में' कैसे बदल देगा।**[**पैरा **49** और **52] [277-**एच**; 278-**ए**; 279-**ए**-**बी**]**

ई.

च

1.10 सी**.** आर**.** जेड**.-II** को पैरा **7** में उन क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें तट रेखा तक या उसके करीब विकसित किया गया है।पहले मामले में अपीलार्थी का भंडारण टैंक तट रेखा से **160** फीट की दूरी पर स्थित प्रतीत होता है। साथ ही**,** यह चेन्नई बंदरगाह से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है।इस न्यायालय ने पहले ही ध्यान दिया है कि सी**.** आर**.** जेड**. III** के तहत**,** खाद्य तेल सहित गैर**-**खतरनाक सामग्री के भंडारण की सुविधा की अनुमति केवल

जी.

एच.

क.

200-500 मीटर के बीच की दूरी।यह तब भी है जब पेट्रोलियम उत्पादों के संचालन और भंडारण दोनों की अनुमति है**,** दोनों उच्च ज्वार रेखा से **200** मीटर तक की दूरी के भीतर और उच्च ज्वार रेखा से **200-500** मीटर के बीच भी।यह तर्क की अवहेलना कर सकता है।कम से कम पहली बार में तो शर्म आती है।यह न्यायालय अधिसूचना के उद्देश्यों को पहले ही निर्धारित कर चुका है।इनमें तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों के खतरों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि से बचाव करना शामिल है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे सतत विकास की आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।ऐसा प्रतीत होता है कि तटीय विनियमन उन विचारों पर आधारित है जो अनिवार्य रूप से आवश्यक के रूप में महसूस किए जाने

वाले विचारों और विचाराधीन क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर परस्पर विरोधी हितों को समायोजित करते हैं।खाद्य तेल जैसी गैर-खतरनाक गतिविधियों के लिए भंडारण सुविधाओं की अनुमति देना, जाहिरा तौर पर, बंदरगाह के संचालन का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।बंदरगाह प्राधिकरणों का अपनी सीमा के भीतर स्थित भंडारण सुविधा पर पूरा नियंत्रण होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, **1964** की धारा **35,** अन्य बातों के साथ-साथ, बंदरगाह को उतरने या भेजे जाने वाले माल को सुरक्षित करने और संग्रहीत करने के लिए अपनी सीमा से बाहर के कार्यों को निष्पादित करने का अधिकार देती है।विचाराधीन भंडारण टैंक बंदरगाह द्वारा निष्पादित कार्य नहीं हैं।**[**पैरा **55] [280-**ए-एफ**]**

ग

डी.

1.11 अनुच्छेद**-8 (I) (i) (b),** निस्संदेह, सी**.** आर**.** जेड**.-I** में बनाई जा रही पाइपलाइनों की अनुमति से संबंधित है। अनुच्छेद**-8 (I) (ii)** सी**.** आर**.** जेड**.-I** से संबंधित है। आगे का संदर्भ केवल पैराग्राफ **8 (II) (vi)** के लिए है जो अधिसूचित बंदरगाहों में विचाराधीन गतिविधि की अनुमति देता है।पैराग्राफ **8 (II) (i)** में वर्णित मौजूदा सड़क के भूमि की ओर इमारतों की अनुमति से संबंधित पहलू जवाबी हलफनामे के अनुसार भी निर्णय का आधार नहीं था।यह इस तथ्य के अलावा है कि पहले प्रतिवादी का विवादित निर्णय पैराग्राफ **8 (II) (i)** के आधार पर आगे नहीं बढ़ता है।यह प्रतिवादी संख्या **5** के इस तर्क पर ध्यान देने के अलावा है कि अनुच्छेद**-8 (II) (i)** के तहत 'भवन' में भंडारण सुविधा को विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाएगा।इसलिए हम सोचेंगे कि हमें अपीलार्थियों को अनुमति देने या उन्हें **2011** की अधिसूचना के पैराग्राफ **8 (II) (i)** पर भरोसा करने की अनुमति देने के लिए राजी नहीं किया जाना चाहिए।अधिकारी विशेषज्ञ हैं।उन्होंने अपना दिमाग लगाया है।उनकी समझ को नियंत्रित करना चाहिए।कम से कम, इसे वह वजन दिया जाना चाहिए जो उनके कारण है।**[**पारस **57** और **58] [281-**बी-ई**]** ए

ई.

च

जी.

एच.

253

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत का संघ।

1.12 यह कि अधिकारी एक विशेष आधार पर आगे बढ़े हैं, उनकी गलत समझ को भी धोखा दे सकता है।यह प्राथमिक बात है कि इस तरह के विचार कानून के निर्माण से संबंधित मुद्दे को प्रभावित नहीं करते हैं।यह न्यायालय सोचेगा कि इस मामले के तथ्यों में और विचाराधीन क़ानून या कानून के निर्माण पर, अर्थात **2011** की अधिसूचना में, अधिकारियों की समझ, यदि वह विवाद का आधार है, तो अधिसूचना की हमारी समझ को कम नहीं कर सकती है।यह न्यायालय फिर से दोहराता है कि 'भीतर' और 'अंदर' शब्दों में वह शामिल नहीं हो सकता जो बंदरगाह के बाहर है।अधिसूचना के निर्माता ने 'बंदरगाह क्षेत्र' में विचाराधीन गतिविधियों पर भी विचार नहीं किया है।इस न्यायालय को यहां स्पष्ट करना चाहिए और यह अवलोकन करना चाहिए कि यदि इस तर्क को बरकरार रखना है कि बंदरगाह सीमा के बाहर एक भंडारण टैंक की अनुमति दी जा सकती है, तो यह अराजकता की शुरुआत करेगा।सवाल यह उठेगा कि बंदरगाह क्षेत्र से कितनी दूरी तक इसे 'बंदरगाह क्षेत्र में' माना जाएगा। **2011** की अधिसूचना को ऐसी व्याख्या प्राप्त नहीं हो सकती है जो क्षण के मामलों को अनिश्चितता के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने के लिए छोड़ दे।यह एक ऐसी व्याख्या से बचने के महत्व के अलावा है जो प्रशासक को जोड़ों में स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही, उसे एक मनमाना शक्ति प्रदान करता है।जैसा कि स्वयं एन**.** जी**.** टी**.** द्वारा पाया गया है, अनुमत गतिविधि के लिए पूर्व कार्योत्तर अनुमति दी जा सकती है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाइपलाइन का केवल तब तक ही अर्थ हो सकता है जब तक कि यह भंडारण टैंक से जुड़ी हो।यदि भंडारण टैंकों को ध्वस्त कर दिया जाता है तो क्या पाइपलाइन का उपयोग जारी रखा जा सकता है, यह एक ऐसा मामला है जिस पर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।

पाइपलाइनों के संबंध में, यह जिला तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण होगा, जो निर्णय ले सकता है।[पैरा **59** और **60**] **[283-**ए**-**डी**,** एफ**-**जी**]**

ग

डी.

ई.

च

1.13 जहां तक खींची गई पाइपलाइनों का संबंध है, अपीलकर्ता आज से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित जिला तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।जिला तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण पाइपलाइन के निरंतर उपयोग के संबंध में किए गए किसी भी आवेदन पर विचार करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की आगे की अवधि के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेगा।तदनुसार अपीलार्थियों को एनजीटी के विवादित आदेश का पालन करने के लिए आज से छह महीने की अवधि दी गई है। यह भंडारण टैंकों को ध्वस्त करने के निर्देश के संबंध में है।अपीलार्थी ने

जी.

एच.

क.

पहली अपील को आदेशित मुआवजे का भुगतान करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है, यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है।[पैरा **61** और **62] [283-**जी**-**एच**; 284-**ए**-**सी**]**

एम. निजामुद्दीन बनाम चेम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड और अन्य

(2010) 4 एससीसी 240:[2010] 3 एस. सी. आर. 325; गोवा फाउंडेशन

v. 2004 की लिखित याचिका **(**सिविल**)** संख्या **460** में भारत संघ**;** इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और

अन्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1247; पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड।

लिमिटेड और एक अन्य बनाम दस्तक एनजीओ और अन्य **(2022)** एससीसी ऑनलाइन एससी **362;** गजुभा जडेजा जेसर बनाम यूनियन

भारत और अन्य (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 993;

ग

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनामरोहित प्रजापति और अन्य (2020) 17 एससीसी 157; के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्य 1981 (4) एस. सी. सी. 173:[1982] 1 एस. सी. आर. 629; इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल

कार्रवाई बनाम भारत संघ (1996) 5 एस. सी. सी. 281:[1996] 1

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 507;** एस**.** जगन्नाथन बनाम भारत संघ और

डी.

अन्य (1997) 2 एस. सी. सी. 87:[1996] 9 पूरक।एससीआर 848;

पाइडेड फिलोमिना गोंजाल्विस बनाम गोवा राज्य **(2004) 3**

एससीसी 445:[2004] 2 एस. सी. आर. 1135; वामिका द्वीप (हरा)

लगून रिज़ॉर्ट**)** बनाम भारत संघ **(2013) 8** एस**.** सी**.** सी**. 760:[2013] 17** एस**.** सी**.** आर**. 965;** कपिको केरल रिसॉर्ट्स **(**पी**)** लिमिटेड बनाम**.**

ई.

केरल राज्य (2020) 3 एससीसी 18:[2020] 1 एससीआर 909;

केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण बनाम

केरल राज्य (2019) 7 एससीसी 248:[2019] 8 एस. सी. आर. 625-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

च

[2010] 3 एस**.** सी**.** आर**. 325**

पर भरोसा किया

पैरा **12 [1982] 1** एस**.** सी**.** आर**. 629** पैरा **16 [1996] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 507** पैरा **19 [1996] 9** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 848** पैरा **19 [2004] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1135** पैरा **19 [2013] 17** एस**.** सी**.** आर**. 965** पैरा **19 [2020] 1** एस**.** सी**.** आर**. 909** पैरा **19 [2019] 8** एस**.** सी**.** आर**. 625** पैरा **19** ए**.**

जी.

एच.

255

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत का संघ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2020 की सिविल अपील No.3626।

2019 की अपील No.04 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई के दिनांकित 30.09.2020 के निर्णय और आदेश से।सह

2020 की सिविल अपील No.3639

रंजीत कुमार, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता।, R.Sarvana कुमार, R.Jawahar लाल, सिद्धार्थ बावा, अनुज गर्ग, मोहित शर्मा, मयंक क्षीरसागर, एड.अपीलार्थी के लिए।

ग

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., अमित आनंद तिवारी, ए. ए. जी., सुश्री अनीता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता, ऋत्विक दत्ता, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री आयुषमा अवस्थी, सुश्री संजना ग्रेस थॉमस, सुश्री नम्रता सारा कालेब, सुश्री इतिशा अवस्थी, सुश्री श्रुति के., सुश्री मंटिका वोहरा, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री अर्चना पाठक डेव, धनंजय महापात्रा, चिनमयी चंद्र, सुश्री प्रीति रानी, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री तन्वी आनंद, शोभित द्विवेदी,उत्तरदाताओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के**.** एम**.** जोसेफ**,** न्याय।

ई.

1. ये अपीलें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 22 के तहत दायर की गई हैं।

सी**.** ए**.** नहीं। **2020** का **3626 (**पहला आवेदन**)**

2. अपीलार्थी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.), दक्षिणी क्षेत्र द्वारा पारित आदेश को चुनौती देता है।विवादित आदेश द्वारा, एनजीटी ने प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है और दिनांक 08.03.2019 की कार्यवाही को रद्द कर दिया है।उक्त कार्यवाही द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत वर्ष 2011 में जारी अधिसूचना के पैराग्राफ-4.3 (इसके बाद '2011 अधिसूचना' के रूप में संदर्भित) को लागू करने के लिए पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की थी।उक्त मंजूरी द्वारा, अपीलार्थी को चेन्नई बंदरगाह से भंडारण टर्मिनल टैंक में खाद्य तेल के हस्तांतरण के लिए पाइपलाइन बिछाने और अपीलार्थी के भंडारण पारगमन टर्मिनल की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई थी।एनजीटी ने पाया है कि जबकि पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी के तहत दी जा सकती है

च

जी.

एच.

256

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

क.

पैराग्राफ-4.3, और यह कि इसका संभावित संचालन होगा, हालांकि, एक भंडारण टैंक पारगमन टर्मिनल स्थापित करने की गतिविधि, 2011 की अधिसूचना के विपरीत होने के कारण, यह अवैध था।यह बदले में अवैध पाया गया, इस आधार पर कि भंडारण टर्मिनल चेन्नई बंदरगाह में स्थित नहीं था, अकेले इस मामले में, यह तटीय विनियमन क्षेत्र II (संक्षेप में, 'सीआरजेड II') की अनुमत गतिविधियों के तहत अनुमत होता।

तथ्य

3. अपीलार्थी खाद्य तेल के प्रसंस्करण और शोधन के व्यवसाय में है।उक्त व्यवसाय के लिए, अपीलार्थी खाद्य तेल का आयात करता है।खाद्य तेल का आयात चेन्नई बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है।05.11.2014 पर, सार्वजनिक नीलामी में, अपीलार्थी ने एक मौजूदा भंडारण सुविधा खरीदी।यह एन्नोर एक्सप्रेसवे में पुराने द्वार संख्या 4061/ए और नए सर्वेक्षण संख्या 4061/2 पर स्थित था।इसके बाद अपीलार्थी ने, उसके अनुसार, उक्त भंडारण सुविधा के लिए साढ़े चार किलोमीटर की भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी।Rs.5097921-के भुगतान पर, चेन्नई फिशिंग हार्बर मैनेजमेंट कमेटी ने भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी।एनएचएआई ने भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी। कथित तौर पर भंडारण सुविधा के निरीक्षण के आधार पर, और सेवा कर सहित शुल्क के भुगतान पर, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने चेन्नई बंदरगाह से भंडारण सुविधा तक भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी।2011 की अधिसूचना के पैराग्राफ-4 के तहत कार्य करने के उद्देश्य से, अपीलार्थी ने जिला तटीय प्रबंधन प्राधिकरण, चेन्नई (इसके बाद 'डीसीजेडएमए' के रूप में संदर्भित) को एक प्रस्ताव दिया।ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निकाय ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी।तीसरा उत्तरदाता, अर्थात।, तमिलनाडु राज्य तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण (इसके बाद 'राज्य प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसे दूसरे प्रतिवादी के माध्यम से अग्रेषित किया।, तमिलनाडु राज्य प्रथम प्रत्यर्थी को, अर्थात।, भारत संघ, पर्यावरण और

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में।प्रत्यर्थी संख्या 4, अर्थात।, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, सी. आर. जेड. ने दो स्पष्टीकरण मांगे।आई. डी. 1 पर, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने एक प्रमाण पत्र जारी किया और पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी, जो अपीलार्थी के अनुसार, टैंकर लॉरी के उपयोग से बचने की आवश्यकता पर आधारित था और इसके परिणामस्वरूप बंदरगाह पर जहाजों का बेहतर संचालन हुआ।जबकि तीसरे प्रतिवादी की सिफारिश पहले प्रतिवादी के समक्ष लंबित थी, अपीलार्थी ने एनएचएआई, चेन्नई ए की पूर्व अनुमति से पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

257

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

मत्स्य पालन बंदरगाह समिति और पोर्ट ट्रस्ट।<आई. डी. 1 पर, प्रत्यर्थी संख्या 5 ने विचाराधीन अपीलार्थी की गतिविधियों के खिलाफ 2016 का ओ. ए. संख्या 238 दायर किया।एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया गया, जिन्होंने सुविधा का निरीक्षण किया।हम, इस मोड़ पर, निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित भौतिक विशेषताओं को देख सकते हैं।

“1) 12 वें प्रत्यर्थी का परिसर (2016 के ए. संख्या 238 में), मेसर्स के. टी. वी. हेल्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 1,2,3, सुरियनारायण चेट्टी स्ट्रीट, टोंडियारपेट, चेन्नई-600001 पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर है।12 वें प्रतिवादी के परिसर और बंगाल की खाड़ी के बीच, राज्य राजमार्ग (एन्नोर एक्सप्रेस राजमार्ग) उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। राज्य राजमार्ग की चौड़ाई लगभग 120 फीट है और सड़क से समुद्र तट तक लगभग 40 फीट की जगह है।इस प्रकार, 12 वें उत्तरदाता के प्रवेश द्वार और समुद्र तट के बीच की दूरी लगभग 160 फीट है।” [अपीलार्थी 12 वाँ प्रत्यर्थी था]

ग

डी.

4. एनजीटी ने उक्त ओ. ए. का निपटारा करते हुए कहा कि भंडारण सुविधा बंद कर दी गई थी और जब तक पहले प्रतिवादी निर्णय नहीं लेता, तब तक कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 ने कुछ शर्तों के अधीन सीआरजेड मंजूरी के प्रस्ताव की सिफारिश की थी।यह पता लगाने के बाद भी था कि 2011 की अधिसूचना में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 2006 की अधिसूचना के प्रावधानों से प्रेरणा लेते हुए।06.02.2018 पर, 2011 की अधिसूचना को अनुच्छेद-4.3 को सम्मिलित करके संशोधित किया गया था।उक्त संशोधन के आधार पर, राज्य प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी गईं।27.12.2018 पर, डी. सी. जेड. एम. ए. द्वारा भंडारण सुविधा का निरीक्षण किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तीसरे प्रतिवादी को सूचित किया कि पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं करने के अलावा, कोई अन्य उल्लंघन नहीं था।तदनुसार, राज्य प्राधिकरण ने प्रस्ताव की सिफारिश की।यह इस आधार पर है, पहले प्रतिवादी को दिनांकित 08.03.2019 कार्यवाही द्वारा पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी गई है।अपीलार्थी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से काम करने की सहमति प्राप्त की।08.04.2019 पर, पाँचवें प्रतिवादी ने एनजीटी के समक्ष अपील दायर की और एनजीटी ने आवेदन की अनुमति दे दी है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है।

ई.

च

जी.

सिविल अपील सं। **2020** का **3639 (**संबद्ध आवेदन**)**

5. अपीलार्थी-कंपनी पहली अपील में अपीलार्थी की सहयोगी संस्था है।इसने एक भंडारण सुविधा का भी निर्माण किया है, जिसे चालू किया जा रहा है।

एच.

खाद्य तेल के व्यवसाय में, पहली अपील में अपीलार्थी के भंडारण टैंक के स्थान से लगभग 600 मीटर की दूरी पर आयातित खाद्य तेल को संग्रहीत करने के उद्देश्य से।इसने अपने कारखाने में संचरण के लिए खाद्य तेल के भंडारण के लिए रखी गई सुविधा के लिए भंडारण टंकी से एक पाइपलाइन भी खींची है।हमें यहां यह उल्लेख करना चाहिए कि विचार खाद्य तेल का आयात करना था, इसे चेन्नई बंदरगाह पर उतारना था, खाद्य तेल को एक पाइपलाइन द्वारा भंडारण सुविधा तक ले जाना था और वहां से टैंकर लॉरियों द्वारा इसे अपने कारखानों में भेजना था, जहां विनिर्माण गतिविधियाँ की जा रही थीं।

6. दोनों अपीलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दे सामान्य हैं और इसलिए, हम पहली अपील के संदर्भ में मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

ग

प्रथम उत्तरदाता द्वारा दिनांकित आदेश **08.03.2019** की विशिष्टताएँ

7. प्रथम उत्तरदाता द्वारा पारित दिनांकित 08.03.2019 आदेश की मुख्य विशेषताएंः

डी.

आई. यह स्थल सी. आर. जेड. II में आता है।

ii.पाँच भंडारण टैंक स्थापित किए गए हैं।

iii.चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, एनएचएआई और हार्बर प्रबंधन समिति से अनुमति प्राप्त की गई है।

ई.

iv.इस परियोजना से चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की ओर जाने वाले यातायात में कमी आएगी।v. सी. आर. जेड. अधिसूचना के अनुसार, पैरा 8 के अनुसार, खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्यान्न जैसे गैर-खतरनाक माल का भंडारण 'केवल अधिसूचित बंदरगाहों में' स्थापित किया जा सकता है।

च

8. सामान्य स्थितियों के अलावा अन्य पहलू और विशिष्ट स्थितियाँ भी हैं।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मंजूरी 2004 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 460 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है।

विवादित आदेश

जी.

9. एनजीटी ने अपीलार्थियों के इस तर्क में योग्यता पाई कि पहले प्रतिवादी के पास पूर्व कार्योत्तर मंजूरी देने की शक्ति थी। हालाँकि, इसका केवल संभावित संचालन होगा।हालाँकि, मंजूरी का समर्थन किया जा सकता है, यदि जिस गतिविधि की अनुमति दी गई थी, वह एक थी, जिसे 2011 की अधिसूचना के तहत विचार किया गया था।न्यायाधिकरण ए चला गया

एच.

259

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

यह ध्यान देने के लिए कि भंडारण सुविधाएं चेन्नई बंदरगाह में स्थित नहीं थीं।वास्तव में, यह इस आधार पर था कि 2011 की अधिसूचना के पैराग्राफ-8 के तहत, खाद्य तेल का भंडारण, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अधिसूचित बंदरगाह की सीमा में अनुमत था।अपीलार्थियों का इस तथ्य के संदर्भ में मंजूरी का समर्थन करने का प्रयास कि सी. आर. जेड. I में अनुमत गतिविधियों के तहत, खाद्य तेल सहित गैर-खतरनाक माल के भंडारण की अनुमति एक बंदरगाह की सीमा के भीतर दी गई थी और इसलिए, 'भीतर' और 'अंदर' शब्दों के बीच एक अंतर मौजूद था, एन. जी. टी. को पसंद नहीं आया। अपीलार्थियों का यह तर्क था कि दो अलग-अलग शब्द होने के कारण और सीआरजेड I के मामले में एक सार्थक व्याख्या की आवश्यकता होने के कारण, अनुमति दी जाने वाली गतिविधि को बंदरगाह की सीमा के भीतर सख्ती से होना चाहिए।दोनों, उपयोग किए गए शब्दों में अंतर को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सी. आर. जेड. II ने एक कम कठोर शासन पर विचार किया, अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या इस विचार को सुनिश्चित करेगी कि सी. आर. जेड. II क्षेत्र में खाद्य तेल के भंडारण की अनुमति दी जा सकती है, बंदरगाह की सीमा के बाहर भी।यह तर्क विफल रहा।10. एनजीटी ने प्रथम प्रतिवादी के विवादित आदेश को अवैध पाया है।भंडारण सुविधा और पाइपलाइन के निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। पहली अपील में अपीलार्थी को 1 लाख रुपये की राशि में पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।हम केवल यह स्पष्ट कर सकते हैं कि संबंधित अपील में अपीलार्थी शुरू में न्यायाधिकरण के समक्ष सफल हुआ था।हालाँकि, यह एक समीक्षा याचिका को अनुमति देने के बाद था, जिसे निर्णय को चुनौती नहीं दी गई थी और अपील को फिर से सुनने पर, वर्तमान विवादित आदेश पारित किया गया था।यह देखते हुए कि संबंधित मामले में अपीलार्थी से पहले पर्यावरण मुआवजे के साथ मुलाकात की गई थी, उस पर कोई मुआवजा नहीं लगाया गया था।

ग

डी.

ई.

11. हमने पहली अपील में अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार और दूसरी अपील में अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता को भी सुना।हमने आगे प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील Ms.Anitha शेनॉय और उत्तरदाता संख्या 2 और 3 की ओर से विद्वान वकील श्री आनंद तिवारी को सुना।हमने आगे भारत संघ की ओर से विद्वान वकील श्री अर्चना पाठक दवे को भी सुना।

च

जी.

12. श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी खाद्य तेल के निर्माण में लगे हुए थे।चेन्नई बंदरगाह में यातायात जाम और भीड़भाड़ से बचने के लिए, यह चेन्नई बंदरगाह ही था जिसने सुझाव दिया कि अपीलार्थी कर सकता है

एच.

260

बंदरगाह क्षेत्र से पाइपलाइन निकालें ताकि आयात पर डाउनलोड किए गए खाद्य तेल को भंडारण सुविधा में ले जाया जा सके और वहां से अपीलार्थी के कारखाने में ले जाया जा सके।वह प्रस्तुत करेंगे कि 2011 की अधिसूचना के प्रावधानों से पता चलेगा कि पैराग्राफ-3 उन गतिविधियों को घोषित करता है जो निषिद्ध हैं।भंडारण टंकी को सी. आर. जेड.-II क्षेत्र में लगाया गया है।सी. आर. जेड.-1 क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की अनुमति है जो सबसे नाजुक क्षेत्र है।वह हमें अधिसूचना के माध्यम से ले जाएगा और बताएगा कि पैराग्राफ-3,4,7 और 8 के संयुक्त पठन पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे।सी. आर. जेड.-II के संबंध में, यह CRZ-I.In सी. आर. जेड.-I की तुलना में कम संवेदनशील है, "अधिसूचित बंदरगाहों के भीतर खाद्य तेल के भंडारण की अनुमति है"।दूसरी ओर, सी. आर. जेड.-II में खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्यान्न जैसे गैर-खतरनाक माल के भंडारण की अनुमति 'अधिसूचित बंदरगाहों' में दी गई है।चूँकि सीआरजेड-I में प्रयुक्त 'भीतर' शब्द का उपयोग सीआरजेड-II में समान गतिविधि के संबंध में नहीं किया जाता है और इसके बजाय 'इन' शब्द का उपयोग किया जाता है, इसलिए मुख्य तर्क यह है कि उन्हें एक अलग अर्थ प्राप्त करना चाहिए।वह आगे तर्क देंगे कि यह न्यायालय उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपना सकता है और इस संबंध में, उन्होंने हमारे निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया

ग

डी.

इस न्यायालय ने एम. निजामुद्दीन बनाम चेम्प्लास्ट सनमार लिमिटेड और अन्य 1.

2011 की अधिसूचना के अनुच्छेद-8 (II) (vi) में आने वाले 'अधिसूचित बंदरगाहों में' शब्दों का अर्थ "अधिसूचित बंदरगाहों में या उनके आसपास" होना चाहिए।उन्होंने कहा कि भंडारण टैंकों का निर्माण चेन्नई बंदरगाह के भीतर नहीं किया गया है, लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के आधार पर, भंडारण टैंक को चेन्नई बंदरगाह में माना जाना चाहिए, हालांकि यह इसकी अधिसूचित सीमा में नहीं है।भंडारण पात्र चेन्नई बंदरगाह के सीमा शुल्क अधिसूचित क्षेत्र में स्थित था।उन्होंने तर्क दिया कि सीआरजेड-II पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के भंडारण की सुविधा की भी अनुमति देता है।यदि ऐसा है, तो वह सवाल उठाते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सी. आर. जेड.-II आम तौर पर कम कठोर नियामक व्यवस्था और सी. आर. जेड.-I प्रदान करता है, इसके परिणामस्वरूप गैर-खतरनाक माल के भंडारण की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसमें सी. आर. जेड.-II में खाद्य तेल शामिल है। वह उस कंपनी का उल्लेख करेंगे जो खाद्य तेल खंड में रखता है, अर्थात्, उर्वरक और खाद्यान्न।उन्होंने कहा कि सी. आर. जेड.-II में खाद्यान्न, उर्वरक और खाद्य तेल के भंडारण की अनुमति नहीं देना बेतुका हो सकता है। यह अधिसूचित बंदरगाह पर 'इन' शब्द पर अस्पष्ट अर्थ रखने का और भी अधिक कारण है।

ई.

च

जी.

13. श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील, ने इस न्यायालय के निर्णयों से समर्थन प्राप्त किया जैसा कि यहाँ संकेत दिया गया है।इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 2 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम

1 (2010) 4 एससीसी 240

एच.

2 (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1247 ए

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

पूर्व कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी के अनुदान को प्रतिबंधित नहीं करता है।इसने यह भी कहा कि यदि ऐसी परियोजना पर्यावरण मानदंडों का पालन करती है तो न्यायालय अर्थव्यवस्था के हित से अनजान नहीं हो सकता है या परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

14. पाहवा के फैसले में उक्त दृष्टिकोण का पालन किया गया है।

प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम दस्तक एनजीओ और अन्य 3 और गजुभा जडेजा जेसर बनाम भारत संघ और अन्य 4.अतः यह है कि

उन्होंने तर्क दिया कि एनजीटी के हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था।

15. एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम में निर्णय पर भरोसा करना।

रोहित प्रजापति और अन्य 5, यह तर्क दिया जाता है कि विवादित आदेश आनुपातिकता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करता है।यह बताया गया है कि उक्त मामले में, पर्यावरणीय मुआवजे के भुगतान पर, उद्योग को जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

ग

16. श्री ध्रुव मेहता, विद्वान वरिष्ठ वकील, दूसरे मामले में तर्कों को अपनाएंगे।वह आगे तर्क देंगे कि समकालीन एक्सपोज़िटो के सिद्धांत आकर्षित होते हैं।इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता ने उनसे काफी समर्थन प्राप्त करने की मांग की।

डी.

के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी मामले में इस न्यायालय का निर्णय,

एर्नाकुलम और अन्य 6।यह इस आधार पर है कि विवादित आदेश में प्रतिवादी संख्या 1 सहित सभी अधिकारियों की समझ यह है कि भंडारण सुविधा के लिए कंटेनर का निर्माण सीआरजेड-II के तहत अनुमत है। न्यायाधिकरण ने सभी अधिकारियों के विचारों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से गलती की।

ई.

17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता यह भी तर्क देंगे कि इस मामले को सतत विकास के सिद्धांतों और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के संदर्भ में देखा जा सकता है।

च

18. प्रतिवादी 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आनंद तिवारी भी अपीलार्थियों का समर्थन करेंगे।वह तर्क देंगे कि एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए।श्रीमती. भारत संघ की विद्वान वकील अर्चना पाठक दवे ने भारत सरकार के रुख का समान रूप से समर्थन किया।

जी.

19. श्रीमती. प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनीता शेनॉय ने एनजीटी के आदेश का पुरजोर समर्थन किया और प्रस्तुत किया

3 (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 362 4 (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 993 5 (2020) 17 एससीसी 157

6 1981 (4) एससीसी 173

एच.

कि मामला पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है।अधिसूचित बंदरगाह की सीमाओं के बाहर निर्माण करने में, एक तथ्य, जो अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं है, एक कानून का एक अनिश्चित उल्लंघन है जो एक हितकारी और उदात्त उद्देश्य के अधीन है।वह अनिवार्य रूप से इस न्यायालय के विचारों से युक्त मामले के कानून के निकाय से समर्थन प्राप्त करेगी जो यह दर्शाता है कि इस न्यायालय ने संबंधित कानून को कुचलने के खिलाफ अपना चेहरा दृढ़ता से निर्धारित किया है

पर्यावरण [इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 7, एस. जगन्नाथन बनाम भारत संघ और अन्य 8, पाइडेड फिलोमिना गोंजाल्विस बनाम गोवा राज्य 9, वामिका द्वीप (ग्रीन लैगून रिज़ॉर्ट) बनाम भारत संघ 10, कपिको केरल रिसॉर्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम।केरल राज्य 11, केरल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण बनाम।

केरल राज्य 12]।वह 'इन' शब्द का अर्थ 'आउट' नहीं कह सकती थी।दूसरे शब्दों में, यह निश्चित रूप से अधिसूचित बंदरगाह के बाहर स्थित भंडारण सुविधा को स्वीकार नहीं कर सकता है।इस मामले के तथ्यों में, यह चेन्नई बंदरगाह से बहुत दूर है और पर्यावरण से संबंधित कानूनों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

ग

विश्लेषण

डी.

20. 2011 की अधिसूचना अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी की गई है। तटीय क्षेत्र की अधिसूचना के संबंध में पहली अधिसूचना वर्ष 1991 में जारी की गई थी।संशोधन किए गए।इसके बाद वर्ष 2011 में अधिसूचना जारी की गई थी।2011 की अधिसूचना 6 जनवरी, 2011 को प्रकाशित होने वाली थी।हम संकेत दे सकते हैं कि, वास्तव में, आज जो अधिसूचना जारी की गई है, वह वर्ष 2019 में जारी की गई थी।

ई.

2011 की अधिसूचना की योजना

21. केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र (संक्षेप में 'सीआरजेड') घोषित किया है।प्रथम खंड में सी. आर. जेड. में समुद्र के सामने की भूमि पर उच्च ज्वार रेखा से लेकर 500 मीटर तक का भूमि क्षेत्र शामिल है।हाई टाइड लाइन वसंत ज्वार के दौरान उच्चतम जल चिह्न पर आधारित रेखा है।हम केवल यह देख सकते हैं कि सी. आर. जेड. की अन्य 4 श्रेणियों में, सी. आर. जेड. में एल. टी. एल. (एल. ओ. डब्ल्यू. टाइड लाइन) (जो रेखा वसंत ज्वार के दौरान जल निकाय की सबसे कम ऊंचाई पर आधारित है) से क्षेत्रीय जल के बीच का पानी और तल क्षेत्र शामिल है।

च

जी.

7 (1996) 5 एससीसी 281 8 (1997) 2 एससीसी 87 9 (2004) 3 एससीसी 445 10 (2013) 8 एससीसी 760 11 (2020) 3 एससीसी 18 12 (2019) 7 एससीसी 248 ए

एच.

263

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

समुद्र और जल तल के मामले में सीमा (12 समुद्री मील) और ज्वारीय प्रभावित जल निकायों के तट के विपरीत तट पर एल. टी. एल. से एल. टी. एल. के बीच का क्षेत्र।सी. आर. जेड. को पैरा 7 के तहत सी. आर. जेड. I, सी. आर. जेड. II, सी. आर. जेड. III, सी. आर. जेड. IV और सी. आर. जेड. V में वर्गीकृत किया गया है।

"7. सी. आर. जेड. का वर्गीकरण-तटीय क्षेत्रों और समुद्री जल के संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से सी. आर. जेड. क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

XXXX

XXXX

XXXX

ग

((ii) सी. आर. जेड.-II, -

वे क्षेत्र जो तटरेखा तक या उसके निकट विकसित किए गए हैं।स्पष्टीकरण.- "विकसित क्षेत्र" अभिव्यक्ति के प्रयोजनों के लिए मौजूदा नगरपालिका सीमाओं के भीतर या अन्य मौजूदा कानूनी रूप से नामित शहरी क्षेत्रों में उस क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है जो काफी हद तक निर्मित हैं और जिन्हें जल निकासी और संपर्क सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं, जैसे कि जल आपूर्ति और सीवरेज मुख्य सुविधाओं के साथ प्रदान किया गया है।

डी.

22. पैराग्राफ-3 में सी. आर. जेड. के भीतर निषिद्ध गतिविधियों का प्रावधान है। हम देख सकते हैं कि इसे 14 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और ध्यान देने योग्य विशेषता यह है कि प्रतिबंधों के कुछ अपवाद भी घोषित किए गए हैं।पैराग्राफ-3 में कुछ खंड हैं जो हमारे समक्ष मामलों के लिए प्रासंगिक हैं।वे इस प्रकार हैं:

ई.

"3. सी. आर. जेड. के भीतर निषिद्ध गतिविधियाँ-सी. आर. जेड. में निम्नलिखित गतिविधियों को निषिद्ध घोषित किया गया है -

च

(i) नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों का विस्तार, सिवाय इसके कि -

(क) जो सीधे तौर पर तट से संबंधित हैं या जिन्हें सीधे तौर पर तटवर्ती सुविधाओं की आवश्यकता है;

जी.

व्याख्या:"तटवर्ती सुविधाएँ" पद का अर्थ है इस अधिसूचना के तहत अनुमेय गतिविधियाँ और उन्हें अपने संचालन के लिए तटों की आवश्यकता होती है जैसे कि बंदरगाह और बंदरगाह, घाट, घाट, घाट, कटाव नियंत्रण उपाय, ब्रेकवाटर, पाइपलाइन,

एच.

प्रकाशस्तंभ, नौवहन सुरक्षा सुविधाएं, तटीय पुलिस स्टेशन आदि।; "

23. पैराग्राफ-3 (i) (b) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं की अनुमति देता है।पैराग्राफ-3 (i) (d) नवी बॉम्बे में पहले से ही स्वीकृत ग्रीनफील्ड परियोजना की परियोजनाओं की अनुमति देता है।3 (i) (ई) स्थानीय नगर और देश योजना विनियमन के अनुसार मछुआरों सहित स्थानीय समुदाय की आवासीय इकाइयों के निर्माण, मरम्मत कार्य की अनुमति देता है।

24. पैराग्राफ 3 (ii) एक निषिद्ध श्रेणी से संबंधित है जो इस प्रकार हैः

"((ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निर्दिष्ट तेल भंडारण या खतरनाक पदार्थ के निपटान का निर्माण या प्रबंधन, सं। एस. 0.594 (ई), दिनांक 28 जुलाई, 1989, एस.सं. 966 (ई), 27 नवंबर, 1989 और जीएसआर 1037 (ई), दिनांक 5 दिसंबर, 1989 को प्रकाशित किया गया, सिवाय इसके कि-"

ग

25. हालांकि, निषेध 3 (ii) (ए) के अपवाद के रूप में जहाजों से बंदरगाह टर्मिनलों और रिफाइनरियों और इसके विपरीत खतरनाक पदार्थों के हस्तांतरण की अनुमति देता है।खंड 3 (ii) (a) इस प्रकार हैः

डी.

"(ए) जहाजों से बंदरगाहों, टर्मिनलों और रिफाइनरियों और इसके विपरीत खतरनाक पदार्थों का हस्तांतरण;

ई.

26. पैराग्राफ-3 (viii) निम्नलिखित प्रतिबंधों को लागू करता हैः

"(viii) वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के परामर्श से एम. ओ. ई. एफ. द्वारा पहचानी गई ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के संदर्भ में रणनीतिक और रक्षा के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं को छोड़कर, तट के उच्च क्षरण वाले हिस्सों में बंदरगाह और बंदरगाह परियोजनाएं।"

च

(जोर दिया गया) 27।पैराग्राफ-3 (xi) में अधिसूचना के पैरा 8 में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर सीआरजेड 1 में निर्माण गतिविधि के निषेध का प्रावधान है।हमें विभिन्न अन्य खंडों के साथ हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।विनियम 4 सी. आर. जेड. क्षेत्र में अनुमेय गतिविधियों से संबंधित है।यह घोषित किया जाता है कि पैराग्राफ-4 के तहत गणना की गई गतिविधियों को पैराग्राफ-3 में निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर विनियमित किया जाएगा।इसका मतलब है कि पैराग्राफ-3 में जो वर्जित है, उसे पैराग्राफ-3 के अर्थ के भीतर अनुमति या विनियमित नहीं किया जा सकता है।4. पैराग्राफ-4 इस प्रकार हैः

जी.

एच.

265

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

"4. सी. आर. जेड. क्षेत्र में अनुमत गतिविधियों का विनियमन।- उपरोक्त पैरा 3 में निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर निम्नलिखित गतिविधियाँ समाप्त हो जाएंगी-(i) (ए) सी. आर. जेड. के भीतर किसी भी गतिविधि के लिए मंजूरी केवल तभी दी जाएगी जब इसकी आवश्यकता हो।

तटवर्ती और तटवर्ती सुविधाएं;

(ख) उन परियोजनाओं के लिए जो इस अधिसूचना के तहत सूचीबद्ध हैं और ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 (S.O.1533 (ई), दिनांक 14 सितंबर, 2006) को भी आकर्षित करती हैं, ऐसी परियोजनाओं के लिए केवल ई. आई. ए. अधिसूचना के

तहत मंजूरी की आवश्यकता होगी, बशर्ते संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसके बाद सी. जेड. एम. ए. के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा सिफारिश की जाए।(ग) इस अधिसूचना के अनुच्छेद 8 में निर्दिष्ट सी. आर. जेड. में आवास योजनाएं;

ग

(घ) सी. आर. जेड.-में 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र का निर्माण।1 ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के साथ असंगति मानी जाएगी और 20,000 वर्ग मीटर से कम निर्मित क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश योजना प्राधिकरणों द्वारा संबंधित सी. जेड. एम. ए. से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद इस अधिसूचना के साथ असंगति को मंजूरी दी जाएगी और ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी देने या संबंधित योजना प्राधिकरण द्वारा मंजूरी देने पर विचार करने के लिए संबंधित सी. जेड. एम. ए. की पूर्व सिफारिशें आवश्यक होंगी।

डी.

ई.

(ङ) एम. ओ. ई. एफ. एक विशिष्ट या सामान्य आदेश के तहत उन परियोजनाओं को निर्दिष्ट कर सकता है जिनके लिए परियोजना प्रभावित लोगों की पूर्व सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता होती है।(च) बंदरगाहों और बंदरगाहों, घाटों, घाटों, घाटों, ढलानों, जहाज निर्माण यार्डों, ब्रेकवाटर, ग्रोइन, कटाव नियंत्रण उपायों के लिए निर्माण और संचालन;

च

((ii) निम्नलिखित गतिविधियों के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होगी, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

(क) वे गतिविधियाँ जो ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(बी) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं या रक्षा आवश्यकताओं से संबंधित निर्माण गतिविधियाँ जिनके लिए फोरशोर सुविधाएं आवश्यक हैं जैसे कि स्लिपवे, जेटी, घाट, घाट;

एच.

रक्षा परियोजनाओं के वर्गीकृत परिचालन घटक को छोड़कर।ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के संदर्भ में आवासीय भवन, कार्यालय भवन, अस्पताल परिसर, रणनीतिक और रक्षा परियोजनाओं की कार्यशालाएं।

(ग) प्रकाशस्तंभों का निर्माण, संचालन;

(घ) पाइपलाइन बिछाना, परिवहन प्रणाली, पारेषण लाइन; (ङ) तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और निष्कर्षण और उससे जुड़ी सभी गतिविधियाँ और सुविधाएं;

(च) कच्चा माल के परिवहन के लिए सुविधाओं की आवश्यकता वाले तट, ठंडे पानी के सेवन के लिए सुविधाएं और उपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन या तापीय विद्युत संयंत्रों से ठंडे पानी के निर्वहन के लिए बहिर्वाह।एमओईएफ पैरा 4 के (एफ), (जी) और (एच) जैसी परियोजनाओं की श्रेणी के लिए निर्दिष्ट कर सकता है;

(छ) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सूचीबद्ध दुर्लभ खनिजों का खनन;

डी.

(ज) गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों, विलवणीकरण संयंत्रों और मौसम रडारों द्वारा बिजली उत्पादन की सुविधाएं;

(i) (क) पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, (ख) विरासत भवनों और सार्वजनिक उपयोग के तहत इमारतों को ध्वस्त करना और उनका पुनर्निर्माण करना, जिसका अर्थ है पूजा, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे उद्देश्यों के लिए इमारतें।

ई.

28. चूंकि पैराग्राफ-4 के खंड 2 में प्रावधान है कि इसके तहत वर्णित गतिविधियों के लिए एमओईएफ से मंजूरी की आवश्यकता होगी, इसलिए सवाल उठेगा कि क्या अन्य गतिविधियों के लिए, जो अनुमत हैं, क्या इसे मंजूरी की आवश्यकता है?पैराग्राफ-4.2 इसका जवाब देता है।यह अनुमेय गतिविधियों को मंजूरी देने की प्रक्रिया प्रदान करता है।विभिन्न औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है।मूल रूप से, 2011 की अधिसूचना में किसी भी पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन का प्रावधान नहीं था।यह वर्ष 2018 में है, यानी 09.03.2018 पर 2011 की अधिसूचना में अनुच्छेद-4.3 जोड़ा गया था।वह इस प्रकार हैः

च

जी.

" 4.3 अनुमेय गतिविधियों के लिए कार्योत्तर मंजूरी।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) सभी गतिविधियाँ, जो इस अधिसूचना के प्रावधानों के तहत अन्यथा अनुमत हैं, लेकिन बिना पूर्व मंजूरी के निर्माण शुरू कर दिया है, केवल नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

एच.

267

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

ऐसे मामलों में जहां परियोजना ने निर्दिष्ट समय में नियमितीकरण के लिए आवेदन किया हो और जो परियोजनाएं सी. आर. जेड. मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, उन्हें नियमितीकरण नहीं किया जाएगा।

(ii) संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ऐसे प्रस्तावों के नियमितीकरण के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें देगा और यह प्रमाणित करेगा कि ऐसी सिफारिशें करते समय सी. आर. जेड. विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है; (iii) ऐसे मामले जहां आवश्यक सी. आर. जेड. मंजूरी के बिना इस अधिसूचना की तारीख से पहले निर्माण शुरू किया गया है, केवल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा, बशर्ते कि इस तरह के नियमितीकरण के लिए अनुरोध उक्त मंत्रालय में 30 जून, 2018 तक प्राप्त हो।" (जोर दिया गया) 29।यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि इसके तहत 'मानदंडों' का उल्लंघन किसी व्यक्ति को पोस्ट फैक्टो क्लीयरेंस के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।मानदंड पैराग्राफ-8 में निर्धारित किए गए हैं।2011 की अधिसूचना के तहत अनुमत गतिविधियों के विनियमन के लिए अनुच्छेद-8 का प्रावधान किया गया है।यह घोषणा करता है कि सी. आर. जेड. की विभिन्न श्रेणियों में विकास या निर्माण गतिविधियों को संबंधित सी. जेड. एम. ए. द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।सी. आर. जेड.-1 में मानदंड इस प्रकार थेः

ग

डी.

ई.

"एल. सीआरजेड-1, -

(i) सी. आर. जेड.-1 में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि-(ए) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाएं;

(बी) पाइपलाइन, पारेषण लाइनों सहित परिवहन प्रणाली; (सी) ऐसी सुविधाएं जो सीआरजेड-1 के तहत अनुमत गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं;

च

(घ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवातों की गति और भविष्यवाणी की निगरानी के लिए मौसम रडार की स्थापना; (ङ) एल. टी. एल. और एच. टी. एल. के बीच पानी के ज्वारीय प्रवाह को प्रभावित किए बिना ट्रांस हार्बर सी लिंक का निर्माण।

जी.

(च) केवल नवी मुंबई में पहले से ही स्वीकृत हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का विकास;

एच.

(ii) एल. टी. एल. और एच. टी. एल. के बीच के क्षेत्र जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नहीं हैं, निम्नलिखित की अनुमति देते समय आवश्यक सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(क) प्राकृतिक गैस का अन्वेषण और निष्कर्षण;

(ख) औषधालयों, विद्यालयों, सार्वजनिक वर्षा आश्रय, सामुदायिक शौचालयों, पुलों, सड़कों, घाटियों, जलापूर्ति, जल निकासी, मल-निकास का निर्माण जो संबंधित सी. जेड. एम. ए. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जीवमंडल भंडारों के भीतर रहने वाले पारंपरिक निवासियों के लिए आवश्यक हैं।

(ग) खतरे वाले क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऐसी विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति देते समय आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएंगे।

ग

(घ) समुद्री जल के सौर वाष्पीकरण द्वारा नमक संचयन; (ङ) विलवणीकरण संयंत्र;

डी.

(च) खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्य अनाज जैसे गैर-खतरनाक माल का भंडारण गैर-अधिसूचित पौधों के साथ;

(छ) जल के ज्वारीय प्रवाह को प्रभावित किए बिना ट्रांस हार्बर समुद्री संपर्कों, स्टिल्ट या स्तंभों पर सड़कों का निर्माण।"

ई.

30. सी. आर. जेड.-II में मानदंड इस प्रकार थे:"II. सीआरजेड-11, -

(i) इमारतों को केवल मौजूदा सड़क के भूमि की ओर या मौजूदा अधिकृत संरचनाओं की भूमि की ओर अनुमति दी जाएगी।

च

((ii) मौजूदा और प्रस्तावित सड़कों या मौजूदा अधिकृत संरचनाओं की भूमि की ओर अनुमति प्राप्त इमारतें मौजूदा स्थानीय शहर और देश योजना नियमों के अधीन होंगी, जिसमें तल स्थान सूचकांक या तल क्षेत्र अनुपात के 'मौजूदा' मानदंड शामिल हैं:

जी.

बशर्ते कि मौजूदा सड़क के समुद्र की ओर बनाई गई किसी भी नई सड़क के भूमि की ओर भवनों के निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी:

एच.

269

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

((ग) मौजूदा तल स्थान सूचकांक या तल क्षेत्र अनुपात मानदंडों के साथ और वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के बिना अधिकृत भवन का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।

((iv) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए सुविधाएं और पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ii) में उल्लिखित शर्तों के अधीन तरलीकृत प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण के लिए सुविधाएं;

(v) विलवणीकरण संयंत्र और संबंधित सुविधाएं;

(vi) गैर-खतरनाक माल का भंडारण, जैसे कि खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्य अनाज अधिसूचित बंदरगाह;

ग

(vii) गैर-पारंपरिक बिजली स्रोतों और संबंधित सुविधाओं द्वारा बिजली उत्पादन के लिए सुविधाएं;

31. सी. आर. जेड.-III, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री मोर्चे के मामले में भूमि की ओर एच. टी. एल. से 200 मीटर तक का क्षेत्र शामिल है।इसे एन. डी. जेड. [या कोई विकास क्षेत्र नहीं] के रूप में चिह्नित किया गया है।अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि एन. डी. जेड. किसी भी अधिसूचित बंदरगाह के भीतर आने वाले ऐसे क्षेत्र में लागू नहीं होगा। इसमें कई तरह की पाबंदियां हैं।एनडीजेड में कुछ गतिविधियों को अनुमत गतिविधियों के रूप में दिखाया गया था। इनमें अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और द्रवीकृत गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए खंड (ई) सुविधाएं शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि सी. आर. जेड.-III में आने वाले 200 मीटर से 500 मीटर के बीच के क्षेत्र के संबंध में, पैराग्राफ-8 ने खाद्य तेल, उर्वरक, खाद्यान्न जैसे गैर-खतरनाक माल के भंडारण की अनुमति दी है।

डी.

ई.

32. 2011 की अधिसूचना के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करने के बाद, हम पक्षों की दलीलों की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

च

33. अपीलकर्ताओं का तर्क होगा कि सीआरजेड-I इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सबसे कठोर व्यवस्था प्रदान करता है कि क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं और भू-आकृति संबंधी विशेषताएं तट की अखंडता को बनाए रखने में भूमिका निभाती हैं।इनमें मैंग्रोव भी शामिल थे।मामले में, मैंग्रोव का क्षेत्र 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था।एम. टी. एस., 50 एम. टी. एस.

का बफर।मैंग्रोव के साथ प्रदान किया जाना था।बालू के टीले सी. आर. जेड.-1 के अंतर्गत आए, जैसा कि प्रवाल और प्रवाल भित्तियों और संबंधित जैव विविधता ने किया।

जी.

34. यह सच हो सकता है कि अपीलार्थी ने स्थानीय प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की थी।श्री रंजीत कुमार का तर्क भी सही हो सकता है।

एच.

पाइपलाइन बिछाने से यह सुनिश्चित हुआ कि चेन्नई बंदरगाह पर अतिरिक्त वाहनों का भार न बढ़े।अपीलार्थियों के इस तर्क में भी योग्यता हो सकती है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र यह संकेत दे सकता है कि पाइपलाइन से पाइपलाइन के माध्यम से खाद्य तेल की निकासी में वृद्धि होगी, जिससे बंदरगाह की दक्षता में वृद्धि होगी।जैसा कि एन. जी. टी. द्वारा पाया गया और पांचवें प्रत्यर्थी द्वारा विवादित नहीं किया गया, 2011 की अधिसूचना में जोड़े गए पैराग्राफ-4.3 से पोस्ट फैक्टो अनुमोदन देने की शक्ति प्रवाहित हुई, हालांकि वर्ष 2018 में।अपीलार्थी का मामला कि भंडारण सुविधा सी. आर. जेड. II में स्थित है, विवाद से परे है।भूमि की ओर स्थित भंडारण सुविधा सही हो सकती है।अपीलार्थियों का दावा है कि भंडारण सुविधा और बंगाल की खाड़ी के बीच एन्नोर एक्सप्रेस राजमार्ग मौजूद है, जो सही प्रतीत होता है।हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि भंडारण सुविधा के प्रवेश द्वार और समुद्र तट के बीच की दूरी '160 फीट' है।पाइपलाइन बिछाने की अनुमति सी. आर. जेड. I. में है। अपीलार्थी के इस तर्क को कि चेन्नई बंदरगाह पर कोई जगह नहीं है, दिनांकित 24.08.2016 प्रमाण पत्र के संदर्भ में पुष्ट करने की मांग की जाती है।हम इसकी सामग्री को देख सकते हैंः

ग

डी.

“पिछले कुछ वर्षों में चेन्नई बंदरगाह के अंदर और बाहर जाने वाले वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है।सड़क यातायात और परिणामी भीड़ को कम करने के लिए, बंदरगाह रेल निकासी और पाइपलाइन के माध्यम से निकासी जैसे माल निकासी के वैकल्पिक तरीकों को प्रोत्साहित कर रहा है।

ई.

तदनुसार चेन्नई पोर्ट ने मेसर्स के. टी. वी. हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड को बी. डी. 2 बर्थ से पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दी है, जहां फर्म माल की निकासी के लिए 10 इंच की पाइपलाइन बिछा रही है।इसके परिणामस्वरूप पाइपलाइन के माध्यम से खाद्य तेल की निकासी में वृद्धि होगी और इस प्रकार टैंकर लॉरी का उपयोग करके इंटर कार्टिंग से बचा जा सकेगा।

च

इसके परिणामस्वरूप जहाजों का बेहतर परिवर्त्तन होगा जिससे बंदरगाह खाद्य तेल कार्गो और जहाजों की अधिक से अधिक मात्रा को संभालने में सक्षम होगा और इस प्रकार बंदरगाह की दक्षता में वृद्धि होगी।यह प्रमाण पत्र पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में फर्म को सक्षम बनाने के लिए जारी किया जाता है।"

जी.

35. यह देखा जाएगा कि प्रमाणपत्र भंडारण सुविधा और बंदरगाह में होने के संबंध में मौन है।प्रमाणपत्र वास्तव में यह घोषणा नहीं करता है कि चेन्नई बंदरगाह पर कोई जगह नहीं है।अपीलकर्ताओं का यह तर्क सही हो सकता है कि खाद्य तेल खतरनाक नहीं है और खाद्य तेल का आयात बढ़ती ए की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

जनसंख्या।यह सच हो सकता है कि कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है जो भंडारण सुविधा के निर्माण या रखरखाव में शामिल हो।

36. अपीलार्थियों का यह तर्क कि यातायात को कम करके और खाद्य तेल को पाइपलाइनों के माध्यम से स्थानांतरित करने की अनुमति देकर अपीलार्थी के कारखानों में आगे संचरण के लिए, प्रदूषण के माध्यम से टैंकर लॉरी यातायात से बहने वाले हानिकारक प्रभाव को कम किया जाता है, 2011 की अधिसूचना के वास्तविक उद्देश्य को नजरअंदाज करता है।हमें तटीय विनियमन अधिसूचना में निहित कानून के उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए।जहाँ तक प्रदूषण का संबंध है, यह विशेष रूप से विनियमन और गतिविधियों के निषेध से संबंधित कानूनों का विषय है।2011 की अधिसूचना के अवलोकन से निम्नलिखित को घोषित वस्तुओं के रूप में पता चलता है:(i) तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदायों और अन्य समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, (ii) तटीय क्षेत्रों का संरक्षण और सुरक्षा; (iii) तटीय क्षेत्रों और उनके समुद्री क्षेत्र के अनूठे पर्यावरण की सुरक्षा; (iv) तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों के खतरों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देना या विकास करना; (v) ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि का पहलू।इसलिए, हम अपीलकर्ताओं से सहमत होने में असमर्थ हैं कि चूंकि पाइपलाइन बिछाने से बंदरगाह के कामकाज में अधिक दक्षता होगी या उस मामले के लिए, यह यातायात की भीड़ को कम करेगा, और इससे अधिक, प्रदूषण में कमी होगी जो अपने आप में प्रासंगिक नहीं हो सकती है या मुद्दे को समाप्त करने के लिए नहीं हो सकती है।यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह किसी कानून के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करे और उसे प्रभावी बनाए।समान रूप से यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपने उन मामलों पर विचार करने से बचे जो उद्देश्य के लिए सख्ती से उपयुक्त नहीं हो सकते हैं।इसलिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि बंदरगाह की दक्षता में वृद्धि और यातायात की भीड़ से बचने और भूमि क्षेत्र में प्रदूषण में कमी, जैसा कि था, के आधार पर तर्क अपने आप में प्रासंगिक नहीं हो सकता है।

ग

डी.

ई.

च

37. अगला तर्क 'भीतर' शब्दों के बीच के अंतर पर आधारित तर्क है जैसा कि सीआरजेड-I में पाया गया है जैसा कि सीआरजेड-II में 'इन' शब्द के विपरीत है। हमें उपयोग किए गए शब्दों में अंतर को ध्यान में रखते हुए एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का उपयोग करने के लिए कहा जाता है।एम. निजामुद्दीन (ऊपर) में बताए गए फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है।यह मामला वर्ष 1991 में जारी तटीय विनियमन अधिसूचना के तहत उठा था।एम. ओ. ई. एफ. ने प्रत्यर्थी को वी. सी. एम. प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए समुद्र तट के पास एक समुद्री टर्मिनल सुविधा स्थापित करने के लिए निर्माण की अनुमति दी, जो इनमें से एक था।

जी.

एच.

पी. वी. सी. निर्माण के लिए कच्चा माल। 1991 की अधिसूचना की शर्तों के तहत, पैराग्राफ-2 के तहत कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था।इनमें जहाजों से बंदरगाहों, टर्मिनलों और रिफाइनरियों में खतरनाक पदार्थों के हस्तांतरण को छोड़कर और इसके विपरीत 'बंदरगाह क्षेत्रों में' खतरनाक पदार्थों का निर्माण या संचालन या भंडारण या निपटान शामिल था।

38. 'बंदरगाह क्षेत्रों में' शब्दों पर दी जाने वाली व्याख्या के बारे में सवाल विचार के लिए पड़ा।हमें एम. निजामुद्दीन (ऊपर) में दिए गए निर्णय के निम्नलिखित भागों का उल्लेख करने की सलाह दी जाती हैः

ग

"36. अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सी. आर. जेड. क्षेत्र में वी. सी. एम. का स्थानांतरण पूरी तरह से निषिद्ध है और वी. सी. एम. को बंदरगाह क्षेत्र को छोड़कर सी. आर. जेड. के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।उनका तर्क है कि वी. सी. एम. को पाइपलाइन द्वारा बंदरगाह क्षेत्र में तट पर लाया जा सकता है, लेकिन सी. आर. जेड. क्षेत्र में नहीं।विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्कों ने "जहाजों से बंदरगाहों, टर्मिनलों और रिफाइनरियों में खतरनाक पदार्थों के हस्तांतरण को छोड़कर और बंदरगाह क्षेत्रों में इसके विपरीत" अभिव्यक्ति के दायरे को जारी किया है, जिसे 9-7-1997 पर पैरा 2 (ii) में जोड़ा गया था। हमें इस अपवाद को लाने में कार्यपालिका के सही अर्थ और इरादे का पता लगाने के लिए कहा जाता है।

डी.

ई.

37. मूल 1991 की अधिसूचना में कोई अपवाद खंड नहीं था।ऐसा प्रतीत होता है कि इसे जहाजों से बंदरगाहों, जहाजों से टर्मिनलों और जहाजों से रिफाइनरियों और इसके विपरीत खतरनाक पदार्थों के हस्तांतरण को सक्षम करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है।क्या खतरनाक पदार्थों का ऐसा हस्तांतरण बंदरगाह क्षेत्रों में स्थित टर्मिनलों और रिफाइनरियों तक ही सीमित है? सकारात्मक में उत्तर उक्त प्रावधान को अव्यवहारिक बना सकता है और इसके परिणामस्वरूप बेतुका भी हो सकता है क्योंकि खतरनाक पदार्थ को जहाज से बंदरगाह क्षेत्र में बंदरगाह, रिफाइनरी या टर्मिनल में लाया जाएगा और वहीं रहेगा और प्रतिबंध के कारण बंदरगाह क्षेत्र से आगे नहीं ले जाया जा सकता है।यह निश्चित रूप से अपवाद खंड को जोड़ने में कार्यपालिका का इरादा नहीं हो सकता था।

च

जी.

38. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि शरारत या दोष को दूर करने के लिए अपवाद जोड़ा गया है, तो इसका अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि यह शरारत को दूर करे, न कि इस तरह से जो उद्देश्य को ही निराश करता है।ए की कमी से बचने के लिए अक्सर उद्देश्यपूर्ण निर्माण का उपयोग किया गया है।

एच.

273

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

और शरारत को दबाने और उपचार को आगे बढ़ाने के लिए।यह फिर से एक तय नियम है कि यदि उपयोग की गई भाषा एक से अधिक निर्माण करने में सक्षम है और यदि निर्माण का उपयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बेतुका या विसंगति होती है, तो इस तरह के निर्माण को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और ऐसे निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो इसे अपने उद्देश्य के साथ सामंजस्य में लाता है और बेतुका या विसंगति से बचाता है क्योंकि यह हमेशा माना जा सकता है कि प्रावधान में किसी विशेष भाषा का उपयोग करते समय बेतुका या विसंगति का इरादा कभी नहीं था।39. अभिव्यक्ति की अपूर्णता और उस अपवाद खंड को खुशी से शब्दबद्ध नहीं किए जाने के बावजूद, हमारा विचार है कि उद्देश्यपूर्ण निर्माण को लागू करके, "बंदरगाह क्षेत्रों में" अभिव्यक्ति को "बंदरगाह क्षेत्रों में या उसके माध्यम से" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।पैरा 2 (ii) में अपवाद तब अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा और पढ़ेगा, "जहाजों से बंदरगाहों, जहाजों से टर्मिनलों और जहाजों से रिफाइनरियों और इसके विपरीत,

बंदरगाह क्षेत्रों में या उनके माध्यम से खतरनाक पदार्थों के हस्तांतरण को छोड़कर।"यह निर्माण पैरा 3 (2) (ii) के अनुरूप होगा जो सी. आर. जेड. क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने की गतिविधि की अनुमति देता है।"

ग

डी.

39. एक ओर, अपीलार्थियों के लिए सीखा हुआ वकील इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर काफी भरोसा करेगा।इसके विपरीत, श्रीमती। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता शेनॉय प्रस्तुत करेंगी कि उपरोक्त निर्णय ने उसमें प्राप्त तथ्यों और विशेष रूप से 'बंदरगाह क्षेत्रों में' अभिव्यक्ति को बदल दिया, जबकि पैराग्राफ-8 (II) (vi) में उपयोग की गई भाषा और संदर्भ को भी इस न्यायालय को 2011 की अधिसूचना जैसी अधिसूचना के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक व्याख्या करने के लिए राजी करना चाहिए।

ई.

40. निर्णय के अनुच्छेद-36 के अवलोकन से पता चलेगा कि उसमें अपीलार्थी का तर्क था कि सी. आर. जेड. क्षेत्र में कच्चे माल का हस्तांतरण पूरी तरह से निषिद्ध था और इसे 'बंदरगाह क्षेत्र' के अलावा क्षेत्र के माध्यम से नहीं ले जाया जा सकता था।इस न्यायालय ने अधिसूचना की शर्तों को समझ लिया कि वह जहाजों से बंदरगाहों, जहाजों से टर्मिनलों और अंत में, जहाजों से रिफाइनरियों में खतरनाक पदार्थों के हस्तांतरण की अनुमति देता है।इसके विपरीत भी अनुमत गतिविधियों के रूप में अधिसूचना के विचार के भीतर पाया गया।अदालत ने सवाल उठाया कि क्या हस्तांतरण को बंदरगाह क्षेत्र में स्थित रिफाइनरियों और टर्मिनलों तक सीमित रखा जाना था।दूसरे शब्दों में, यदि उसमें अपीलार्थी का तर्क स्वीकार कर लिया जाता, तो इसके परिणामस्वरूप कच्चे माल को पाइपलाइन द्वारा जहाज से बंदरगाह क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता था, लेकिन इसे स्थित रिफाइनरी में नहीं ले जाया जा सकता था।

च

जी.

एच.

बंदरगाह क्षेत्र के बाहर।लेकिन प्रावधान में जहाज से रिफाइनरियों के साथ-साथ टर्मिनलों और इसके विपरीत सामग्री के परिवहन पर विचार किया गया था।इसी संदर्भ में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बेतुकी स्थिति से बचने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकता है।'बंदरगाह क्षेत्र में' शब्दों की उपस्थिति पर बहुत कुछ बदल गया।इसलिए, अधिसूचना के स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो स्वयं स्पष्ट था, न्यायालय ने 'बंदरगाह क्षेत्र में' शब्दों के साथ 'या' के माध्यम से 'शब्द जोड़े।इससे जहाजों से कच्चे माल को रिफाइनरी या टर्मिनल में स्थानांतरित करने में सुविधा हुई, जिसे बंदरगाह क्षेत्र में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है।हमें उपरोक्त संदर्भ में एम. निजामुद्दीन (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को समझना चाहिए।तर्क और सिद्धांत हमारे सामने आने वाले मामलों के विपरीत दिखाई देते हैं।

ग

41. सीआरजेड-I से संबंधित पैराग्राफ-8 (I) (एफ) पर फिर से कब्जा किया जा सकता है:"(8).इस अधिसूचना के तहत अनुमत गतिविधियों के विनियमन के लिए मानदंड, -

डी.

सी. आर. जेड-I

(ii) एल. टी. एल. और आई. आई. टी. एल. के बीच के क्षेत्र जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नहीं हैं, निम्नलिखित की अनुमति देते समय आवश्यक सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(च) अधिसूचित बंदरगाहों के भीतर खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्यान्न जैसे गैर-खतरनाक माल का भंडारण;

ई.

42. हम यह भी ध्यान में रखते हैं कि पैराग्राफ-8 (I) (i) (b) में अन्य बातों के साथ-साथ पाइपलाइनों के निर्माण की अनुमति दी गई थी।इसके बाद अनुच्छेद-8 (II) में, सीआरजेड-II के तहत, खंड VI ने खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्यान्न जैसे गैर-खतरनाक माल के भंडारण की अनुमति देने पर विचार किया।हम सी. आर. जेड.-III की प्रासंगिक सामग्री में अपनी जांच को व्यापक बना सकते हैं। 2011 की अधिसूचना के सी. आर. जेड.-III को क्षेत्र 'ए' में विभाजित किया गया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ समुद्र के मोर्चे के मामले में एच. टी. एल. से 200 मीटर तक के क्षेत्रों से संबंधित था।उक्त खंड ने आगे घोषणा की कि उक्त क्षेत्र एक विकास रहित क्षेत्र (एन. डी. जेड.) होगा।हम देखते हैं कि सी. आर. जेड.-III में एन. डी. जेड. किसी भी बंदरगाह सीमा के भीतर ऐसे क्षेत्रों में लागू नहीं होना था।इस प्रकार, 'भीतर' अभिव्यक्ति ने फिर से अधिसूचित बंदरगाह सीमाओं के संबंध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।एन. डी. जेड. में क्षेत्र 'ए' के तहत अनुमत गतिविधियों में, अर्थात, उपरोक्त 200 मीटर तक, हम खंड (ई) पाते हैं, जो अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और तरल पेट्रोलियम गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए सुविधाओं की अनुमति देता है। सी. आर. जेड.-ए का क्षेत्र बी

च

जी.

एच.

275

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

III को 200 मीटर से 500 मीटर तक के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है।चूँकि सी. आर. जेड. स्वयं 500 मीटर की दूरी प्राप्त करने पर समाप्त हो जाएगा, दूसरे शब्दों में, यह सी. आर. जेड.-III का अवशिष्ट क्षेत्र है। उसी के तहत हम देखते हैं कि फिर से पेट्रोलियम उत्पादों और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण की सुविधाओं की अनुमति दी गई थी जैसा कि अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट किया गया था।हम इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि इसी गतिविधि पर सीआरजेड-III के क्षेत्र ए में भी विचार किया गया था, अर्थात, समुद्र के मोर्चे के मामले में भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा के 200 मीटर तक का क्षेत्र। दिलचस्प बात यह है कि जब अधिसूचित बंदरगाहों में खाद्य तेल उर्वरकों और खाद्यान्न जैसे गैर-खतरनाक माल के भंडारण की बात आती है, तो इसके खंड 4, यानी 200 मीटर से 500 मीटर के बीच स्थित क्षेत्र के तहत सीआरजेड-III के क्षेत्र 'बी' में गतिविधि की अनुमति दी गई थी।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सी. आर. जेड.-III को पैरा-7 में अनिवार्य रूप से अपेक्षाकृत अबाधित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो सी. आर. जेड.-I या II से संबंधित नहीं था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र, विकसित और अविकसित दोनों शामिल थे और नगरपालिका सीमाओं के भीतर या अन्य कानूनी रूप से नामित शहरी क्षेत्रों में भी, जो पर्याप्त रूप से निर्मित नहीं थे।हम पहले ही सीआरजेड-II के वर्गीकरण को उन क्षेत्रों के रूप में देख चुके हैं जिन्हें तट रेखा तक या उसके करीब विकसित किया गया था।क्या यह कहा जा सकता है कि गैर-खतरनाक माल जैसे खाद्य तेल, उर्वरक, खाद्य अनाज के भंडारण की अनुमति सी. आर. जेड.-III, क्षेत्र 'बी' में अधिसूचित बंदरगाहों में सी. आर. जेड.-III क्षेत्र 'ए' में भी दी जाए?एन. डी. जेड. में अनुमत गतिविधियों के तहत सी. आर. जेड.-III की सामग्री को देखते हुए, हम ऐसा कोई खंड नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो खाद्य तेल सहित गैर-खतरनाक माल के इस तरह के भंडारण की अनुमति देता हो।इसलिए, सी. आर. जेड.-III के क्षेत्र 'ए' के अंतर्गत आने वाले एन. डी. जेड. क्षेत्र में, यह अस्वीकार्य हो सकता है।

ग

डी.

ई.

43. हमने यह चर्चा केवल यह याद दिलाने के लिए की है कि जिस अधिसूचना से हम संबंधित हैं, उसकी व्याख्या में, एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की खोज या तर्क की खोज जो न्यायालय को उचित लगती है, उन सीमाओं को पूरा कर सकती है जो अधिसूचना के निर्माता के उद्देश्य से प्रवाहित होती हैं जो उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ तक ही सीमित हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एम. निजामुद्दीन (उपरोक्त) में दर्ज मामले के तथ्यों में पाई गई स्थिति एक अलग दृष्टिकोण की मांग कर सकती है।

च

जी.

44. 'भीतर' और 'अंदर' शब्दों के बीच के अंतर से पेश किए गए विवाद की ओर लौटते हुए, हम एन. जी. टी. की निम्नलिखित चर्चा को देख सकते हैं, जो एक विशेष निकाय है, जिसमें एक न्यायिक सदस्य और अधिनियम के तहत एक वैधानिक अपील में एक तकनीकी सदस्य शामिल हैं।

एच.

“54. कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 'इन' शब्द का अर्थ इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

‘पूर्वस्थिति 1 में) ताकि घेर लिया जाए, घेर लिया जाए या अंदर किया जाए।2) एक समय की अवधि को व्यक्त करते हुए जिसके दौरान एक घटना होती है।3) किसी घटना के घटित होने से पहले की अवधि को व्यक्त करना।4) किसी राज्य, स्थिति या गुणवत्ता को व्यक्त करना।5) समावेशन या भागीदारी व्यक्त करना।6) उपयोग किए गए अभिव्यक्ति के साधनों को दर्शाता हैःलिखित में लिखें।7) किसी व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे को दर्शाता है।8) किसी मूल्य को संपूर्ण के अनुपात के रूप में व्यक्त करना।क्रियाविशेषण 1) उस गति को व्यक्त करना जिसके परिणामस्वरूप वह अंदर या घिरा हुआ हो।2) घेराबंदी या घेराबंदी की स्थिति को व्यक्त करना।3) अपने घर या कार्यालय में उपस्थित हों।4) किसी गंतव्य पर आगमन को व्यक्त करना।5) [ज्वार का] बढ़ रहा है या अपने उच्चतम स्तर पर।विशेषण अनौपचारिक फैशनेबल।- वाक्यांश कुछ अनुभव करने जा रहे हैं, विशेष रूप से कुछ अप्रिय।एक रहस्य जानने पर।इसी कारण से।आई 11 एफओ 1 मल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का आनंद ले रहे हैं।इन और आउट सभी विवरणों को अनौपचारिक करते हैं।- मूल पुरानी अंग्रेज़ी "

ग

डी.

55. 'भीतर' शब्द को उसी शब्दकोश में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“ तैयारी 1) के भीतर।2) सीमा या सीमा के अंदर हम समाप्ति की दृष्टि में थे।3) एक विशेष अवधि के भीतर घटित होना।4) से अधिक दूर नहीं (दूरी के साथ उपयोग किया जाता है)।क्रियाविशेषणः1) अंदर; अंदर।2)आंतरिक या आंतरिक रूप से।"

च

56. इन शब्दों के अर्थ की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन शब्दों का उद्देश्य क्षेत्र के भीतर कुछ करना होगा, यदि यह क्षेत्र से संबंधित है और क्षेत्र में यदि क्षेत्र से संबंधित है और उस क्षेत्र से परे नहीं है।"

45. 'इन' शब्द की परिभाषा के अनुसार, इसमें 'बंद, घिरा हुआ या अंदर होना' शामिल है।पैरा 8 (II) (vi) में अधिसूचित बंदरगाह में 'इन' शब्द को देखने का एक तरीका यह होगा कि अधिसूचित बंदरगाह के अंदर गैर-खतरनाक सामग्री के भंडारण की अनुमति है।हम देखते हैं कि 'भीतर' शब्द की परिभाषा में अंदर का अर्थ भी शामिल है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स ने घोषणा कीः"एक शब्द एक स्फटिक, पारदर्शी और अपरिवर्तित नहीं है; यह एक जीवित विचार की त्वचा है और ए हो सकता है

जी.

एच.

277

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

जिन परिस्थितियों और समय में इसका उपयोग किया जाता है, उसके अनुसार रंग और सामग्री में बहुत भिन्नता होती है।"

46. श्रीमती. वरिष्ठ वकील अनीता शेनॉय का कहना है कि जो 'आउट' है उसे 'इन' नहीं माना जा सकता है।वह यह बताती है कि अपीलार्थियों की भंडारण सुविधा चेन्नई बंदरगाह की अधिसूचित सीमा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है।वह सवाल उठाती है कि ऐसे तथ्यों पर क्या इस अदालत को यह ठहराने के लिए राजी किया जा सकता है कि यह अधिसूचित बंदरगाह, यानी चेन्नई बंदरगाह के अंदर है।इसमें स्पष्ट शब्दों में हिंसा करना शामिल होगा।इसलिए अधिसूचना के संदर्भ में 'भीतर' और 'अंदर' शब्द का अर्थ एक ही होना चाहिए।अधिसूचना और नीति किसी छाया में नहीं है, अधिसूचना को चुनौती देने के रूप में।यह न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह कानून को लागू करे जैसा कि पाया जाता है।इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि श्री ध्रुव मेहता ने बताया है, यदि यह अन्यथा स्वीकार्य पाया जाता है, तो एक व्याख्या जो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, अदालत में अपील कर सकती है, भले ही कोई चुनौती न दी गई हो।

ग

डी.

47. एक चक्कर उपयुक्त हो सकता है।चेन्नई बंदरगाह एक बंदरगाह है, जो निश्चित रूप से प्रमुख बंदरगाह अधिनियम, 1964 के अर्थ के भीतर एक प्रमुख बंदरगाह है।एक अन्य अधिनियम, जो बंदरगाहों से संबंधित है, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 है।अपीलकर्ताओं का तर्क होगा कि भंडारण सुविधा चेन्नई बंदरगाह के भीतर स्थित नहीं हो सकती है, लेकिन यह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 57 के तहत सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में लाइसेंस प्राप्त है।प्रमुख बंदरगाह अधिनियम में, 'बंदरगाह' शब्द को धारा 2 (क्यू) में परिभाषित किया गया है।वह इस प्रकार हैः

ई.

"(क्यू) "बंदरगाह" से कोई भी प्रमुख बंदरगाह अभिप्रेत है, जिसके लिए यह अधिनियम ऐसी सीमाओं के भीतर लागू होता है, जिसे समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, और जब तक कोई अधिसूचना इस तरह जारी नहीं की जाती है, तब तक ऐसी सीमाओं के भीतर जो भारतीय बंदरगाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित की गई हों।

च

48. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 57 इस प्रकार हैः- "57. सार्वजनिक गोदामों का लाइसेंस।—सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, एक सार्वजनिक गोदाम को लाइसेंस दे सकते हैं जिसमें देय सामान जमा किया जा सकता है।"

जी.

49. यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि भंडारण चेन्नई बंदरगाह की सीमा के भीतर स्थित है जैसा कि धारा 2 (क्यू) में विचार किया गया है।यह.

एच.

इसलिए यह उक्त बंदरगाह के अंदर नहीं है।हालांकि, यह अपीलार्थी का मामला है कि भंडारण सुविधा सीमा शुल्क अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है।यह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 57 के तहत जारी लाइसेंस पर आधारित है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 के तहत, धारा 68 के तहत गोदाम से साफ किए गए सामान के मामले में किसी भी आयातित सामान की शुल्क दर और शुल्क मूल्यांकन के निर्धारण की तारीख को वह तारीख घोषित किया जाता है, जिस पर ऐसी वस्तुओं के संबंध में घर में उपयोग के लिए बिल धारा 15 के तहत प्रस्तुत किया जाता है।जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है, उन्हें धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए दर्ज किए जाने के संदर्भ में तुरंत मंजूरी दी जा सकती है, और प्रासंगिक तिथि, तब प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने की तारीख होगी।एक आयातक माल को गोदाम में रखना चाहेगा।यह ऐसे मामलों में है कि केवल घर के उपयोग के लिए प्रवेश के बिल पर ही महत्वपूर्ण तिथि सामने आती है।इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 57 के तहत अन्य पहलुओं के अलावा शुल्क संग्रह को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 उप-धारा (11) 'सीमा शुल्क क्षेत्र' शब्दों को परिभाषित करती है।वह इस प्रकार हैः“2(11) “सीमा शुल्क क्षेत्र का अर्थ है सीमा शुल्क स्टेशन या गोदाम का क्षेत्र और इसमें कोई भी क्षेत्र शामिल है जिसमें आयातित माल या निर्यात माल को आम तौर पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मंजूरी से पहले रखा जाता है।

ग

डी.

50. धारा 2 उप-धारा (12) 'सीमा शुल्क बंदरगाह' को परिभाषित करती है, जबकि धारा 2 उप-धारा (13) 'सीमा शुल्क स्टेशन' को परिभाषित करती हैः

ई.

“(12) “सीमा शुल्क बंदरगाह "से धारा 7 के खंड (ए) के तहत सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में नियुक्त कोई भी बंदरगाह अभिप्रेत है, और इसमें उस धारा के खंड (एए) के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के रूप में नियुक्त स्थान शामिल है" (13) "सीमा शुल्क स्टेशन" से कोई सीमा शुल्क बंदरगाह, सीमा शुल्क हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल, विदेशी डाकघर या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन अभिप्रेत है।

च

51. धारा 7 (ए), जिसका संदर्भ 'सीमा शुल्क बंदरगाह' शब्दों की परिभाषा को देखते हुए आवश्यक हो सकता है, निम्नानुसार हैः

जी.

“7. सीमा शुल्क बंदरगाहों, हवाई अड्डों आदि की नियुक्ति।-(1) बोर्ड, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकता है -

(क) वे बंदरगाह और हवाई अड्डे जो अकेले आयातित वस्तुओं के उतारने और निर्यात वस्तुओं या ऐसी वस्तुओं के किसी भी वर्ग के लोडिंग के लिए सीमा शुल्क बंदरगाह या सीमा शुल्क हवाई अड्डे होंगे।

एच.

279

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

52. इस प्रकार, भारतीय बंदरगाह अधिनियम और प्रमुख बंदरगाह अधिनियम के तहत आने वाला प्रत्येक बंदरगाह अपने आप सीमा शुल्क बंदरगाह नहीं बन सकता है।धारा 2 (12) के तहत एक सीमा शुल्क बंदरगाह उस बंदरगाह पर अस्तित्व में आता है जिसे धारा 7 (ए) के तहत नियुक्त किया जा रहा है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सीमा शुल्क स्टेशन में कोई भी सीमा शुल्क बंदरगाह और एक भूमि सीमा शुल्क स्टेशन शामिल है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 57 के तहत लाइसेंस के आधार पर अपीलकर्ता का मामला इसे एक सीमा शुल्क क्षेत्र बना सकता है क्योंकि इसमें एक गोदाम शामिल है लेकिन यह अकल्पनीय है कि यह इसे 'एक अधिसूचित बंदरगाह' में कैसे बदल देगा।

53. एक तर्क, जो अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाया जाता है, सीआरजेड-II के तहत आने वाले पैराग्राफ-8 के खंड (1) से पता लगाया जा सकता है। वह इस प्रकार हैः

ग

“सीआरजेड-11, -

(i) इमारतों को केवल मौजूदा सड़क के भूमि की ओर या मौजूदा अधिकृत संरचनाओं की भूमि की ओर अनुमति दी जाएगी।

डी.

अपीलार्थियों का यह तर्क है कि भले ही यह पाया जाता है कि भंडारण सुविधा को बंदरगाह में अनुमति के अनुसार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह बंदरगाह में नहीं आता है, दोनों इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीआरजेड-II एक ऐसे क्षेत्र का गठन करता है जहां शासन सीआरजेड-I में विचार की गई व्यवस्था की तुलना में कम कठोर है और यह भी ध्यान में रखते हुए कि खाद्य तेल गैर-खतरनाक माल है और फिर भी, जो अधिक महत्वपूर्ण है, सीआरजेड-II में, पेट्रोलियम उत्पादों और तरल प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण की सुविधाओं की अनुमति दी जा सकती है, और अंत में, एक भंडारण सुविधा के रूप में एक इमारत का गठन किया जाएगा, जो इस मामले के तथ्यों में, मौजूदा सड़क के भूमि की ओर स्थित है, एनजीटी गलत था।तर्क यह प्रतीत होता है कि चेन्नई मेट्रो विकास प्राधिकरण, जो एक स्थानीय निकाय है, ने इस क्षेत्र को एक सामान्य औद्योगिक उपयोग क्षेत्र के रूप में मानते हुए भंडारण सुविधा के निर्माण की अनुमति दी है।इसका मतलब है कि नगर नियोजन कानून के तहत इमारत की अनुमति थी।इस तर्क को निर्माण शब्द की परिभाषा के संदर्भ में आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है जिसमें भंडारण सुविधा शामिल है।

ई.

च

जी.

54. इस तर्क को श्रीमती द्वारा पूरा करने की कोशिश की जाती है। अनीता शेनॉय, विद्वान वरिष्ठ वकील, यह इंगित करते हुए कि यह अनुच्छेद-8 (II) (vi) में निहित 'भंडारण सुविधाओं' शब्दों के उपयोग के साथ स्पष्ट रूप से असंगत होगा, जो 'भवन' शब्द के साथ सीआरजेड-II के तहत अनुमत गतिविधियों के अंतर्गत आता है, जिससे स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि साथ-साथ,

एच.

भवन में भंडारण सुविधा शामिल नहीं हो सकती है, जिसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और जब तक यह एक अधिसूचित बंदरगाह में है तब तक इसकी अनुमति दी गई है।

55. हम कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं।सी. आर. जेड.-II को पैरा 7 में उन क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें तट रेखा तक या उसके करीब विकसित किया गया है।पहले मामले में अपीलार्थी का भंडारण टैंक तट रेखा से 160 फीट की दूरी पर स्थित प्रतीत होता है।साथ ही, यह चेन्नई बंदरगाह से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है।हम पहले ही देख चुके हैं कि सी. आर. जेड. III के तहत, खाद्य तेल सहित गैर-खतरनाक सामग्रियों के भंडारण की सुविधा की अनुमति केवल 200-500 मीटर के बीच की दूरी पर है।यह तब भी है जब पेट्रोलियम उत्पादों के संचालन और भंडारण दोनों की अनुमति है, दोनों उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर तक की दूरी के भीतर और उच्च ज्वार रेखा से 200-500 मीटर के बीच भी।यह तर्क की अवहेलना कर सकता है।कम से कम पहली बार में तो शर्म आती है।हम अधिसूचना के उद्देश्यों को पहले ही निर्धारित कर चुके हैं।इनमें तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरों के खतरों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि से बचाव करना शामिल है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे सतत विकास की आवश्यकता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।ऐसा प्रतीत होता है कि तटीय विनियमन उन विचारों पर आधारित है जो अनिवार्य रूप से आवश्यक के रूप में महसूस किए जाने वाले विचारों और विचाराधीन क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर परस्पर विरोधी हितों को समायोजित करते हैं।खाद्य तेल जैसी गैर-खतरनाक गतिविधियों के लिए भंडारण सुविधाओं की अनुमति देना, जाहिरा तौर पर, बंदरगाह के संचालन का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।बंदरगाह प्राधिकरणों का अपनी सीमा के भीतर स्थित भंडारण सुविधा पर पूरा नियंत्रण होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1964 की धारा 35, अन्य बातों के साथ-साथ, बंदरगाह को उतरने या भेजे जाने वाले माल को सुरक्षित करने और संग्रहीत करने के लिए अपनी सीमा से बाहर के कार्यों को निष्पादित करने का अधिकार देती है।विचाराधीन भंडारण टैंक बंदरगाह द्वारा निष्पादित कार्य नहीं हैं।

ग

डी.

ई.

च

56. जहाँ तक उस मामले का निर्माण इस आधार पर करने की मांग की गई है कि चूंकि सी. आर. जेड.-II ने मौजूदा सड़क के भूमि की ओर इमारतों की अनुमति दी है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि यह पहले प्रतिवादी के निर्णय का आधार नहीं है जिसे एन. जी. टी. के समक्ष सफलतापूर्वक विवादित किया गया था। वास्तव में, हमने श्रीमती से पूछताछ की। अर्चना पाठक दवे, प्रथम उत्तरदाता की विद्वान वकील हैं कि क्या यह आधार था।उन्होंने इस आधार पर निर्णय का समर्थन नहीं किया कि यह निर्णय का आधार है।हम आगे, प्रथम प्रत्यर्थी की निम्नलिखित अभिवचन पर ध्यान दे सकते हैं जिसे एनजीटी द्वारा एनजीटी के समक्ष अपने उत्तर हलफनामे में भी स्वीकार किया गया हैः

जी.

एच.

281

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

“5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के तहत उक्त गतिविधि एक अनुमेय गतिविधि है और पैरा संख्या 8 (I) (i) (b), पैरा संख्या 8 (I) (ii) (f) और पैरा संख्या 8 के तहत विनियमित है।सी. आर. जेड. अधिसूचना, 2011 का (vi)।"

57. अनुच्छेद-8 (I) (i) (b), निस्संदेह, सी. आर. जेड.-I में बनाई जा रही पाइपलाइनों की अनुमति से संबंधित है। सीआरजेड-I.The से संबंधित पैराग्राफ-8 (I) (ii) केवल पैराग्राफ 8 (II) (vi) के लिए है जो अधिसूचित बंदरगाहों में विचाराधीन गतिविधि की अनुमति देता है।पैराग्राफ 8 (II) (i) में वर्णित मौजूदा सड़क के भूमि की ओर इमारतों की अनुमति से

संबंधित पहलू जवाबी हलफनामे के अनुसार भी निर्णय का आधार नहीं था।यह इस तथ्य के अलावा है कि पहले प्रतिवादी का विवादित निर्णय पैराग्राफ 8 (II) (i) के आधार पर आगे नहीं बढ़ता है।यह प्रतिवादी संख्या 5 के इस तर्क पर ध्यान देने के अलावा है कि अनुच्छेद-8 (II) (i) के तहत 'भवन' में भंडारण सुविधा को विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाएगा।इसलिए हम सोचेंगे कि हमें अपीलार्थियों को अनुमति देने या उन्हें 2011 की अधिसूचना के पैराग्राफ 8 (II) (i) पर भरोसा करने की अनुमति देने के लिए राजी नहीं किया जाना चाहिए।58. एक अन्य तर्क, जो श्री ध्रुव मेहता द्वारा उठाया गया है, समकालीन व्याख्या से संबंधित कानून से उत्पन्न होता प्रतीत होता है।अधिकारी विशेषज्ञ हैं।उन्होंने अपना दिमाग लगाया है।उनकी समझ को नियंत्रित करना चाहिए।कम से कम, इसे वह वजन दिया जाना चाहिए जो उनके कारण है।यह आधार बनाता है।इसके अलावा, वह के. पी. वर्गीज बनाम आई. टी. ओ. 13 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करता है।के. पी. वर्गीज (उपर्युक्त) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 52 (2) की व्याख्या को शामिल किया।इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार रखा कि धारा 52 (2) को लागू करने के लिए, यह केवल यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था कि हस्तांतरण की तारीख को पूंजी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य निर्धारिती द्वारा घोषित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य से कम से कम 15 प्रतिशत से अधिक था।इस न्यायालय ने विशुद्ध रूप से शाब्दिक व्याख्या को इस आधार पर छोड़ दिया कि इसके स्पष्ट रूप से अनुचित और बेतुके परिणाम हुए।यह पाया गया कि संसद का उद्देश्य प्रामाणिक लेन-देन को लक्षित करना नहीं था, जहां निर्धारिती ने सच्चाई से वास्तविक विचार की घोषणा की थी।इस न्यायालय ने वित्त मंत्री के भाषण, हेडन नियम या शरारत नियम और धारा 52 (2) में उल्लिखित 'घोषित' शब्द के महत्व और इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि प्रावधान लागू होने के तुरंत बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत वैधानिक परिपत्र जारी किए और समझाया कि

ग

डी.

ई.

च

जी.

13 (1981) 4 एससीसी 173

एच.

282

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 9 एस सी आर।

केंद्र का दायरा।यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि परिपत्र राजस्व को बाध्य करेंगे, भले ही वे प्रावधान की सही व्याख्या के अनुसार नहीं पाए गए हों।इन सब के अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:--प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ये दो परिपत्र, जैसा कि हम वर्तमान में इंगित करेंगे, उप-धारा (2) में अधिनियमित प्रावधान के प्रशासन या निष्पादन में कर विभाग के लिए बाध्यकारी हैं, लेकिन उनके बाध्यकारी चरित्र से काफी अलग, वे स्पष्ट रूप से हैं

समकालीन प्रदर्शनी की प्रकृति में वैध साज-सज्जा

उप-धारा (2) के निर्माण में सहायता।निर्माण का नियम

समकालीन प्रदर्शनी के संदर्भ में एक अच्छी तरह से स्थापित है

ग

समकालीन प्राधिकारी से प्राप्त व्याख्या के संदर्भ में किसी क़ानून की व्याख्या करने के लिए नियम, हालांकि इसे ऐसा रास्ता देना चाहिए जहां क़ानून की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो।इस नियम को क्रॉफर्ड ऑन स्टैच्युटरी कंस्ट्रक्शन (1940 संस्करण) में संक्षिप्त और सम्मानपूर्वक व्यक्त किया गया है, जहां पैरा 219 में कहा गया है कि "प्रशासनिक निर्माण (यानी किसी क़ानून को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा समकालीन निर्माण) आम तौर पर इसे पलटने से पहले स्पष्ट रूप से गलत होना चाहिए। इस तरह का निर्माण, जिसे आमतौर पर व्यावहारिक निर्माण के रूप में जाना जाता है, हालांकि गैर-नियंत्रित, फिर भी काफी वजन का हकदार है; यह अत्यधिक प्रेरक है "।

डी.

ई.

इस नियम की वैधता को बालेश्वर बगारती बनाम भागीरथी दास [आई. एल. आर. 35 कैल.] में भी मान्यता दी गई थी। 701] जहाँ जे. मुखर्जी ने इन शब्दों में नियम का उल्लेख कियाः

“यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक क़ानून का अर्थ लगाने में अदालतें इसके अधिनियमन के समय और उन लोगों द्वारा की गई व्याख्या को बहुत महत्व देंगी, जिनका कर्तव्य इसका अर्थ लगाना, निष्पादित करना और लागू करना रहा है।"

च

और नियम के इस कथन को इस द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था

देशबंधु गुप्ता एंड कंपनी बनामदिल्ली स्टॉक एक्सचेंज

एसोसिएशन लिमिटेड [(1979) 4 एस. सी. सी. 565] इन दो परिपत्रों से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो अधिनियम के प्रावधानों के निष्पादन के लिए सौंपा गया सर्वोच्च प्राधिकरण है, ने उप-धारा (2) को उन मामलों तक सीमित समझा जहां हस्तांतरण के लिए विचार निर्धारिती द्वारा कम किया गया है और इसे उस निर्माण का समर्थन करने वाली एक मजबूत परिस्थिति के रूप में माना जाना चाहिए जिसे हम उस उप-धारा पर रख रहे हैं।"

जी.

एच.

283

के. टी. वी. स्वास्थ्य भोजन पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.भारत और ओआरएस का संघ। [के. एम. जोसेफ, जे.] ए.

क.

59. तथ्यों में सिद्धांत विरोधाभासी है।यह कि अधिकारी एक विशेष आधार पर आगे बढ़े हैं, उनकी गलत समझ को भी धोखा दे सकता है।यह प्राथमिक बात है कि इस तरह के विचार कानून के निर्माण से संबंधित मुद्दे को प्रभावित नहीं करते हैं।हम सोचेंगे कि इस मामले के तथ्यों में और विचाराधीन क़ानून या कानून के निर्माण पर, अर्थात 2011 की अधिसूचना में, अधिकारियों की समझ यदि विवाद का आधार है, तो अधिसूचना के बारे में हमारी समझ को कम नहीं कर सकती है।हम फिर से दोहराते हैं कि 'भीतर' और 'अंदर' शब्दों में बंदरगाह के बाहर क्या है, यह शामिल नहीं हो सकता है।अधिसूचना के निर्माता ने 'बंदरगाह क्षेत्र' में विचाराधीन गतिविधियों पर भी विचार नहीं किया है।हमें यहाँ स्पष्ट करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यदि इस तर्क को बरकरार रखना है कि बंदरगाह सीमा के बाहर एक भंडारण टैंक की अनुमति दी जा सकती है, तो यह अराजकता की शुरुआत करेगा।सवाल यह उठेगा कि बंदरगाह क्षेत्र से कितनी दूरी तक इसे 'बंदरगाह क्षेत्र में' माना जाएगा।2011 की अधिसूचना को ऐसी व्याख्या प्राप्त नहीं हो सकती है जो क्षण के मामलों को अनिश्चितता के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने के लिए छोड़ दे।यह एक ऐसी व्याख्या से बचने के महत्व के अलावा है जो प्रशासक को जोड़ों में स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही, उसे एक मनमाना शक्ति प्रदान करता है।

ग

डी.

60. जहां तक पाइपलाइन का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी. आर. जेड.-1 में इसकी अनुमति है और हमारे सामने तर्क दिए गए थे कि भले ही भंडारण सुविधा को ध्वस्त किया जाना है, पाइपलाइनों के माध्यम से लाए गए खाद्य तेल का उपयोग करते हुए, जो निस्संदेह हैं, भूमिगत स्थित हैं, तेल को उस स्थान पर एकत्र किया जा सकता है जहां से यह वर्तमान में स्थित है।, जहाँ पाइपलाइन समाप्त होती है और वहाँ से कारखाने तक पहुँचाई जाती है।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पाइपलाइन उस क्षेत्र में स्थित है जहां इसकी गतिविधि की अनुमति है।इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि अनुमत गतिविधि के लिए पूर्व कार्योत्तर अनुमति दी जा सकती है जैसा कि स्वयं एनजीटी द्वारा पाया गया है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाइपलाइन का केवल तब तक ही अर्थ हो सकता है जब तक कि यह भंडारण टैंक से जुड़ी हो।यदि भंडारण टैंकों को ध्वस्त कर दिया जाता है तो क्या पाइपलाइन का उपयोग जारी रखा जा सकता है, यह एक ऐसा मामला है जिस पर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। हम सोचेंगे कि पाइपलाइनों के संबंध में, यह जिला तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण होगा, जो निर्णय ले सकता है।61. उपरोक्त चर्चा का परिणाम इस प्रकार हैः

ई.

च

जी.

जहां तक खींची गई पाइपलाइनों का संबंध है, अपीलकर्ता आज से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित जिला तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।जिला तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण इस संबंध में किए गए किसी भी आवेदन पर विचार करेगा -

एच.

पाइपलाइन का निरंतर उपयोग और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह की आगे की अवधि के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेना।

62. अपीलार्थियों द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए भंडारण सुविधा के साथ पाइपलाइन का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, हम सोचेंगे कि न्याय के हित में कुछ समय के अनुदान की आवश्यकता है।तदनुसार अपीलार्थियों को एनजीटी के विवादित आदेश का पालन करने के लिए आज से छह महीने की अवधि दी गई है। यह भंडारण टैंकों को ध्वस्त करने के निर्देश के संबंध में है।पहली अपील में अपीलार्थी को आदेशित मुआवजे का भुगतान करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है, यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है।

ग

63. जहां तक पाइपलाइन को ध्वस्त करने के निर्देश की बात है, तो मामला जिला तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले निर्णय का इंतजार करेगा।

64. अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।इस बारे में कोई आदेश नहीं होगा

लागतें।

डी.

दिव्या पांडे

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(सहायता दीःसुश्री शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

एच.